



राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 के तहत गठित राजकीय उपक्रम
(राजस्थान अधिनियम संख्या 4 सन् 1970)



प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिसम्बर 2023 तक)



विधायक आवास, ज्योति नगर, जयपुर



राजस्थान आवासन मण्डल

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिसम्बर 2023 तक)

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ	संख्या
1	सामान्य	...	1
2	आवास निर्माण / आवंटन	...	1
3	वित्त प्रबन्धन / पंजीकरण प्रक्रिया	...	1
4	गुणवत्ता नियंत्रण	...	12
5	मण्डल की आवासीय योजनाओं में नागरिक सुविधाएँ	...	12
6	प्रचार प्रसार	...	13
7	राशि संग्रहण केन्द्र	...	13
8	समस्याओं का समयबद्ध निराकरण	...	13
9	कम्प्यूटरीकरण	...	13
10	भूमि अवाप्ति	...	14
11	भौतिक प्रगति	...	14
12	वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के ग्राफ	...	16
13	पारदर्शिता बढ़ाने हेतु एवं आवंटी उन्मुख महत्वपूर्ण निर्णय	...	19
14	आवासन मंडल द्वारा शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाएँ	...	24
15	मण्डल की महत्वपूर्ण योजनाएँ	...	26
16	अफोर्डेबल हाउसिंग योजना-2009	...	31
17	Real Estate Regulatory Authority (RERA)	...	32
	तालिकाएँ		
I.	दिसम्बर-2023 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये शहर/कस्बों की सूची	...	32
II.a	शहरवार/आयवर्ग अनुसार आवासों का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण की सूची	...	33
II.b	शहरवार/आयवर्ग अनुसार आवासों का आवंटन/कब्जे की सूची	...	35
III.a	नये आवास प्रारम्भ (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	...	37
III.b	आवास पूर्ण किये गये (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	...	37
III.c	आवासों का आवंटन (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	...	37
III.d	आवासों का कब्जा देना (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	...	37
IV.a	धारा 4(1) मण्डल स्तर पर अवाप्तिधीन भूमि के प्रकरण	...	38
IV.b	धारा 27 अथवा धारा 4(1) के तहत अधिसूचना जारी नहीं हुई के प्रकरण।	...	38
IV.c	विशेषाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण	...	38
V.	पुरस्कार	...	39
VI.(a-c)	स्वीकृत-कार्यस्त तथा स्तिं पद्मों का विवरण	...	41-43
VII.	प्रशासनिक ढांचा	...	44
VIII.	अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदस्थापना सूची	...	45



राजस्थान आवासन मण्डल

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

(माह दिसम्बर-2023 तक)

1. सामान्य

राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना दिनांक 24 फरवरी, 1970 को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से युक्त आवासीय योजनाएँ विकसित कर सभी वर्गों के लिए उचित कीमत पर आवास उपलब्ध कराने के हेतु किया गया। आवासीय योजनाओं में कुल निर्मित आवासों में से लगभग 60 प्रतिशत से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के पंजीकृत आवेदकों के लिए निर्मित किये जाते हैं।

2.1 आवास निर्माण / आवंटन

स्थापना से अब तक प्रदेश के 67 शहरों/कस्बों में विभिन्न वर्गों आवासों के निर्माण की प्रगति निम्नानुसार है:

आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ	आवासों का निर्माण पूर्ण	आवासों का आवंटन	आवासों का कब्जा
2,60,455	2,56,128	2,55,469	2,46,948

राज्य के 20 शहर/कस्बों में विभिन्न आय वर्ग के 4,327 आवासों/फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आवासन मण्डल की स्थापना से अब तक निर्माण कार्योंपर रु. 9598 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

2.2 वित्त प्रबन्धन

वर्तमान में आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्त का प्रबंध स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटियों से प्राप्त राशि तथा वाणिज्यिक एवं आवासीय सम्पत्तियों के समयबद्ध निस्तारण द्वारा किया जा रहा है। आवासन मण्डल की योजनाओं के विकास हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है।

3. पंजीकरण प्रक्रिया

3.1 पंजीकरण पुस्तिका

नई आवासीय योजनाओं के लिए निर्धारित पंजीकरण पुस्तिका का विक्रय मूल्य 300.00 रु. निर्धारित है।

3.2 पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस

आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु आदेश क्रमांक मुसप्र/2013/765 दिनांक 8.08.2013 द्वारा प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित है:-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग
रु 500.00	रु 700.00	रु 1000.00	रु 1500.00	रु 2000.00

प्रोसेसिंग फीस पुनर्भुगतान/समायोजन योग्य नहीं है।

3.3 आय वर्ग एवं पंजीकरण राशि

आवास लेने का इच्छुक कोई भी भारतीय नागरिक, आवासन मण्डल में पंजीकरण करा सकता है। विभिन्न आय वर्ग के आवासों के लिए विभिन्न आवासीय योजनाओं में पंजीकरण हेतु आवेदकों की वार्षिक आय सीमा आदेश क्रमांक मुसप्र/का आ/2019/323 दिनांक 09.07.2019 एवं पंजीकरण राशि आदेश क्रमांकमुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009. से निम्नानुसार निर्धारित है :—

(अ) वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि (सामान्य)

क्र. सं.	आवेदक का आय वर्ग	वार्षिक आय	पंजीकरण राशि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	3,00,000तक	7,000
2.	अल्प आय वर्ग	3,00,001 से 6,00,000 तक	15,000
3.	मध्यम आय वर्ग "अ"	6,00,001 से 12,00,000 तक	50,000
4.	मध्यम आय वर्ग "ब"	12,00,001 से 18,00,000 तक	80,000
5.	उच्च आय वर्ग	18,00,001 एवं अधिक	1,20,000

अल्प आय वर्ग से उच्च आय वर्ग तक के अवैतनिक श्रेणी के शहरी क्षेत्र के आवेदकों द्वारा आवेदन फार्म के साथ दिये जाने वाले आय के शापथ पत्र के स्थान पर आयकर विवरणिका एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों से आय हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर उनके स्वामित्व की उपलब्ध भूमि से प्राप्त होने वाली आय को आधार माना गया है।

(ब) पंजीकृत आवेदकों को आय वर्ग परिवर्तन की सुविधा

आदेशक्रमांक: मुसप्र/बो.मी.-238/आय वर्ग परिवर्तन/2019/683 दिनांक 18.09.2019 के द्वारा पंजीकृत आवेदकों को अपनी वर्तमान आय अनुसार आयवर्ग में परिवर्तन करने की सुविधा दी गई है। इस हेतु सभी उप आवासन आयुक्तों को अधिकृत किया गया है।

(स) मुख्यमंत्री जनआवास योजना हेतु वार्षिक आय का निर्धारण

आवासन मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2018/713 दिनांक 10.09.2018 के अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत भविष्य में प्रारम्भ की जाने वाली आवासीय योजना के पंजीकरण हेतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदकों को आयवर्गानुसार दो श्रेणी में यथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग—प्रथम (वार्षिक आय सीमा रु 1,50,000 तक) तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग—द्वितीय (वार्षिक आय सीमा रु 1,50,001 से 3,00,000 तक) में विभक्त किया गया है।

(द) स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों हेतु पंजीकरण राशि

आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 द्वारा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत पंजीकरण राशि आवास की लागत की 10 प्रतिशत लिये जाने का प्रावधान है तथा आदेश क्रमांक प.149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2012/3068 दिनांक 02.04.2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु निर्धारित पंजीकरण राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने की सुविधा है। आदेश क्रमांक प.149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2012/3068 दिनांक 02.04.2012 के अनुसार स्ववित्त पोषित योजनाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

आवेदकों के रिफण्ड करते समय उनके द्वारा एसएफएस योजना में जमा करायी गयी राशि मानते हुए कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्तआदेशक्रमांक मुसप्र/794 दिनांक 17.05.07 द्वारा वर्तमान सैनिकों के समान ही भूतपूर्व सैनिकों/विरांगनाओं कोनिर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग जमा कराने की सुविधा है।

3.4 बहुमंजिले आवासों हेतु पंजीकृत आवेदकों के मूल आय वर्ग परिवर्तन के प्रावधान
बड़े शहरों में भूमि की सीमित उपलब्धता के मध्यनजरबहुमंजिले आवासों के निर्माण किये जाने से आदेशक्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 के द्वारा निम्नानुसार प्रावधान निर्धारितकिये गये:-

- i. बहुमंजिले आवासों के पंजीकरण हेतु आवेदक के मूल आयवर्ग से दो आयवर्ग नीचे अथवा दो आयवर्ग ऊपर के आवास हेतु पंजीकरण करवाये जा सकेंगे।
- ii. आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के आवासों हेतु मध्यम आयवर्ग (ब) व उच्च आयवर्ग के पात्र आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे। पात्रता आयवर्ग से नीचे की श्रेणी में आवेदन करने पर मूल पात्रता के आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
- iii. पंजीकरण राशि आवास के आयवर्ग अनुसार ली जायेगी।
- iv. पात्रता आयवर्ग से ऊपर के आवासों के पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति पर भी मान्य होंगे।

3.5 पंजीकरण राशि पर निम्न दर से ब्याज देय है :-

लागत सिद्धान्त-2010 के अनुसार पंजीकरण राशि एवं पूर्व ग्रहण राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक अथवा आवंटन पत्र जारी होने की तिथि को लागू ब्याज देय होगा। स्ववित पोषित योजना के आवेदकों को ब्याज देय नहीं होगा।

3.6 पंजीकरण राशि की वापसी

पंजीकरण की तिथि के डेढ़ वर्ष के बाद किन्तु पूर्वग्रहण राशि माँगपत्र जारी करने से पूर्व रिफण्ड की माँग करने पर पंजीकरण राशि निर्धारित ब्याज सहित वापिस ली जा सकेगी। आरक्षण पत्र जारी होने के बाद आरक्षण राशि जमा नहीं करवाने अथवा आवास आवंटन के बाद राशि जमा नहीं करवाने अथवा आवास नहीं लेने के कारण पंजीकरण निरस्त किये जाने की अवस्था में पंजीकरण राशि में 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के भुगतान कर दी जाती है।

दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ की गयी योजनाओं एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनाओं में सफल आवेदकों द्वारा कब्जा राशि जमा करने से पूर्व यदि आवेदक जमा राशि का रिफण्ड चाहता है तो आदेश क्रमांक वसूली/2020-21/469 दिनांक 29.09.2020 एवं रेरा से रजिस्ट्र्ड पंजीकरण योजनाओं में आदेश क्रमांक मुसप्र/2022/807 दिनांक 27.12.2022 के तहतनिम्नानुसार कटौती की जायेगी :-

क्र. स.	प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें	श्रेणी (आय वर्ग)	कटौती की जाने वाली राशि
1	दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें	EWS/LIG	अनुमानित लागत का अधिकतम 5 प्रतिशत तक (मय जीएसटी)
2	दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें	MIG-A/ MIG-B/ HIG	अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक (मय जीएसटी)

3.7 पंजीकरण का हस्तांतरण

(अ) पंजीकृत आवेदक द्वारा अपने निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण, मूल आवंटी की मृत्यु के उपरान्त वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम हस्तांतरण, किराया क्रय पद्धति से नगद भुगतान में पंजीकरण हस्तांतरण एवं मण्डल से पंजीयन (रजिस्ट्री) के उपरान्त अन्य क्रेता द्वारा मण्डल के रिकॉर्ड में अपना नाम परिवर्तन इत्यादि हेतु प्रशासनिक शुल्क आवासन मण्डल के आदेशक्रमांक—मुसप्र/2013/1642 दिनांक 20.01.2014 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित / संशोधित किया गया है :—

- मूल आवंटी के नाम के साथ निकट सम्बन्धी के नाम जोड़ने के सभी आय वर्ग के प्रकरणों में रु. 2000/- प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
- मूल आवंटी की मृत्यु होने पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम प्रतिस्थापित करने पर सभी आय वर्गों के प्रकरणों में रु. 2000/- प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
- किराया क्रय पद्धति से नकद भुगतान पद्धति के पंजीकरण/आवंटन को निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण शुल्क में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा :—

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग—अ	मध्यम आय वर्ग—ब	उच्च आय वर्ग
500/-रु.	500/-रु.	1000/-रु.	2500/-रु.	5000/-रु.

- प्रथम पंजीयन के उपरान्त अनुवर्ती पंजीयन कराकर बोर्ड के रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन कराने पर पश्चात्वर्ती पंजीयन के आधार पर प्रशासनिक शुल्क में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा :—

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग—अ	मध्यम आय वर्ग—ब	उच्च आय वर्ग
5000/-रु.	5000/-रु.	10000/-रु.	15000/-रु.	20,000/-रु.

- विधिक प्रभार—मण्डल की आवासीय योजनाओं के विभिन्न आवंटियों द्वारा दायर विभिन्न कोर्ट केसेज में मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय के मद्देनजर प्रत्येक आवास, भूखण्ड, प्लिन्थ, वाणिज्यिक भूखण्ड, संस्थानिक भूखण्ड के आवंटन पत्रों में निम्नानुसार विधिक शुल्क वसूलनीय होगा :—

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग—अ	मध्यम आय वर्ग—ब	उच्च आय वर्ग
200/-रु.	300/-रु.	500/-रु.	1000/-रु.	2,000/-रु.

संस्थानिक आवंटन	वाणिज्यिक निर्मित दुकान	वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्गमीटर तक	वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्ग मी. से अधिक
10,000/-रु.	1,000/-रु.	1,000/-रु.	5,000/-रु.

(ब) मृत्यु उपरान्त पंजीकरण/आवंटन हस्तान्तरण :—पंजीकृत आवेदक/आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन के हस्तान्तरण हेतु आदेशक्रमांक मुसप्र./92/2312 दिनांक 1.12.1992 के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान निहित है :—

- ऐसे पंजीकृत आवेदक/आवंटी जिन्होंने आवेदन पत्र में प्राथमिकता के आधार पर उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने हेतु किसी व्यक्ति को मनोनीत किया हुआ है तो ऐसे प्रकरणों में मनोनयन के आधार पर आवेदक/आवंटी की मृत्यु के पश्चात् उसके पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।
- जिन प्रकरणों में आवेदक/आवंटी द्वारा उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन के हस्तान्तरण हेतु किसी का मनोनयन नहीं किया गया है, उनमें आवेदक/आवंटी की मृत्यु के पश्चात् पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण केवल आवेदक के पति/पत्नि या पति—पत्नि के माता—पिता, भाई—बहिन, पुत्र—पुत्री, पुत्रवधु—दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।
- ऐसे पंजीकृत आवेदक/आवंटी जिन्होंने आवेदन पत्र में उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने के लिये किसी का मनोनयन किया हुआ है किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त मनोनीत उत्तराधिकारियों सहित अन्य प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों द्वारा पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण किसी अन्य उत्तराधिकारी के नाम चाहा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में मनोनीत उत्तराधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का त्याग कर नियमानुसार वांछित प्रपत्र में उस उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर भी किया जा सकेगा। किन्तु प्रत्येक स्थिति में पंजीकरण का हस्तान्तरण केवल पंजीकृत आवेदक/आवंटी के पति—पत्नि, पति/पत्नि के माता पिता, भाई बहिन, पुत्र—पुत्री, पुत्रवधु—दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जा सकेगा।
- पंजीकरण/आवंटन/हस्तान्तरण हेतु उप आवासन आयुक्त सक्षम अधिकारी होंगे। यदि किन्हीं मामलों में वैधानिक कठिनाई एवं विशेष परिस्थितियां हो तो ऐसे मामले विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से मुख्यालय की अनुमति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

3.8 निःशक्तजन (दिव्यांग) श्रेणी के आवेदकों को बहुमंजिलीय योजनाओं में आवास आवंटन प्रक्रिया में संशोधन :—

बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में निर्मित फ्लैट्स में निःशक्तजन आवेदकों को भूतल पर ही आवास आवंटन किये जाने का प्रावधान आदेश क्रमांक प. विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र./ 2010/644 दिनांक 07.06.2010 द्वारा जारी किया गया। स्टिल्ट पर पार्किंग व्यवस्था होने की स्थिति में पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश क्रमांक प./विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र./2014/1143 दिनांक 25.11.2014 से पृथक् से निर्धारित आरक्षण के अनुरूप प्रथमतः लॉटरी आयोजित की जाकर

प्रथम तल पर फ्लैट्स को आवंटन किया जायेगा एवं इसके उपरान्त शेष बचे फ्लैट्स की लॉटरी द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार शेष आवेदकों को फ्लैट्स को आवंटन किया जायेगा।

3.9 सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान

इन योजनाओं में आदेश क्रमांक 243 दिनांक 23.05.2011 के अनुसार आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त, पूर्वग्रहण राशि—पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने की तारीख के 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो, जमा करानी पड़ती है। आदेश क्रमांक मु.स.प्र./2022/807 दिनांक 27.12.2022 के अनुसार पूर्वग्रहण राशि के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किश्त			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	5,000	5,000	5,000	15,000
2.	अल्प आय वर्ग	10,000	10,000	10,000	30,000
3.	मध्यम आय वर्ग "अ"	40,000	30,000	30,000	1,00,000
4.	मध्यम आय वर्ग "ब"	70,000	70,000	60,000	2,00,000
5.	उच्च आय वर्ग	1,00,000	1,00,000	1,00,000	3,00,000

राज0 आवासन मंडल की रेरा के अन्तर्गत पंजीकृत योजनाओं/नई पंजीकरण योजनाओं में किराया क्रय पद्धति व नगद भुगतान पद्धति (स्ववित्त पोषित योजना, विशिष्ट पंजीकरण योजना एवं सामान्य पंजीकरण योजना) में रेरा अधिनियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार मंडल में प्रचलित सम्पत्ति निस्तारण एवं वित्तिय नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने एवं रेरा प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा पंजीकरण निरस्त/वापसी की अवस्था में पंजीकरण राशि (जो लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत हो) जब्त की जा सकती है का प्रावधान मंडल में लागू करने हेतु प्रस्ताव मंडल की 248वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.11.2022 में बिन्दु संख्या 248.33 रखा गया। निर्णयानुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग हेतु पंजीकरण/पूर्वग्रहण राशि तालिका—अ के अनुसार एवं मध्यम आय वर्ग—अ व ब तथा उच्च आय वर्ग के लिए पंजीकरण हेतु तालिका—ब के अनुसार पंजीकरण/पूर्वग्रहण राशि लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

तालिका— अ

क्र.सं.	आय वर्ग	पंजीकरण राशि	पूर्वग्रहण राशि किश्त			योग
1	आ०द०से कमजोर आय वर्ग	7000	5000	5000	5000	22000
2	अल्प आय वर्ग	15000	10000	10000	10000	45000

तालिका— ब

क्र. सं.	आय वर्ग	पंजीकरण राशि	पूर्वग्रहण राशि की किश्तें=अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत—पंजीकरण राशि, शेष राशि का प्रतिशत		
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	मध्यम आय वर्ग—अ	50,000	35%	30%	30%
2	मध्यम आय वर्ग—ब	80,000	35%	30%	30%
3	उच्च आय वर्ग	1,20,000	35%	30%	30%

3.10 स्ववित्त पोषित योजना के आवासों हेतु आरक्षण राशि जमा कराने के प्रावधानः—

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग “अ”, मध्यम आय वर्ग “ब” एवं उच्च आय वर्ग श्रेणी आवासों के निर्माण हेतु जो आवेदक अपनी स्वयं की पूँजी लगाकर मण्डल से शीघ्र आवास प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे आवेदकों के लिये भूमि की उपलब्धता के अनुसार आवासीय योजनाएँ बनाई जाकर पंजीकरण किये जाते हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों की लागत आदेशमुस्सप्र / 2009 / 481 दिनांक 29.06.2009 में निहित प्रावधान अनुसार आवेदकों से 10 प्रतिशत राशि पंजीकरण के समय एवं शेष 90 प्रतिशत राशि योजना के निर्माण का कार्यादेश जारी करने के पश्चात् आरक्षण पत्र जारी करते हुए निम्नानुसार मांगी जाती है :—

क्र. सं.	आवासों का प्रकार	पंजीकरण राशि	आरक्षण पत्र के पश्चात् प्राप्त की जानी वाली राशि		
			किस्त	समयावधि	राशि
1.	स्वतंत्र आवास	10.00 %	प्रथम	1 माह	22.5 %
			द्वितीय	4 माह	22.5 %
			तृतीय	7 माह	22.5 %
			चतुर्थ	10 माह	22.5 %
2.	बहुमंजिले आवास	10.00 %	प्रथम	1 माह	15.00 %
			द्वितीय	4 माह	15.00 %
			तृतीय	7 माह	15.00 %
			चतुर्थ	10 माह	15.00 %
			पंचम्	13 माह	15.00 %
			षष्ठम्	16 माह	10.00 %
			सप्तम्	19 माह	10.00 %
					10.00 %

इस योजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश जारी होते ही किश्तों का मांग पत्र (आरक्षण पत्र) जारी किया जायेगा। स्वतंत्र आवास के लिए निर्माण अवधि (प्रोजेक्ट पीरियड) 18 माह तथा फ्लैट हेतु निर्माण अवधि 30 माह निर्धारित है। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर उपरोक्तानुसार निर्माण अवधि के पश्चात् आवेदक की जमा राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से आवंटन पत्र जारी करने तक ब्याज देय होगा।

निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् आवेदक द्वारा वांछित राशि जमा नहीं कराने/पंजीकरण वापस लेने के फलस्वरूप पंजीकरण निरस्त होने की स्थिति में

निर्माण कार्य की प्रगति रोकना संभव नहीं है। अतः स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकरण निरस्तीकरण के संबंध में निम्न प्रावधान निर्धारित हैं :—

1. पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना का विकल्प देने के पश्चात् पंजीकरण निरस्तीकरण स्थिति में आवेदक का मूल पंजीकरण भी निरस्त किया जायेगा।
2. पंजीकरण निरस्तीकरण की स्थिति में आवेदक की जमा राशि में से निम्नानुसार राशि की कटौती की जायेगी :—
 - (i) वरीयता निर्धारण से पूर्व कोई कटौती नहीं की जायेगी लेकिन जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
 - (ii) वरीयता निर्धारण के पश्चात् पंजीकरण राशि में 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी तथा पंजीकरण राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। पंजीकरण के 18 माह तक अगर मण्डल आवासों का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो सम्पूर्ण राशि मय ब्याज लौटायी जायेगी।
 - (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
 - (iv) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् किश्त जमा कराने की तिथि के बाद समस्त देय राशि की 20 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
 - (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं भूतपूर्व/कार्यरत सैनिक एवं उनकी वीरांगनाओं द्वारा जमा कराई गई राशि को ही पंजीकरण राशि माना जायेगा एवं तदनुसार प्रभावी नियमों के अन्तर्गत कटौती कर शेष राशि रिफण्ड की जावे। उक्त प्रावधान आदेश क्रमांक मुसप्र/2021/717 दिनांक 27.10.2021 द्वारा किये गये हैं।

उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती पंजीकरण राशि तक सीमित होगी।

आवासन मण्डल में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत नवीन योजनाओं में पंजीकरण ऑन लाईन प्रारम्भ किया गया है। स्ववित्त पोषित योजना जिसमें पंजीकरण राशि मय प्रोसेसिंग राशि 5.00 लाख रु. से अधिक है, उस स्थिति में 5.00 लाख रु. तक की राशि ऑनलाईन जमा करवाने एवं शेष राशि आरक्षण पत्रानुसार प्रथम किश्त मे जोड़कर जमा कराने का प्रावधान आदेश क्रमांक मुसप्र/2015/1681 दिनांक 30.03.2015 से किया गया।

3.11 आवास आवंटन प्रणाली

वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा आवास आवंटन :—राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा वरीयता एवं आवास आवंटन की लॉटरी निकाली जा रही है। आवासों की लॉटरी के लिये राजकॉम्प (RISL) द्वारा RHBMS परियोजना के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसे राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर (RSDC) पर संधारित किया जा रहा है। लॉटरी आवंटन की सूचना विभागीय वैबसाईट Rbh.rajasthan.gov.in/rhb पर लॉटरी निकलने के तत्काल बाद पीडीएफ (Pdf) फार्मेट में अपलोड कर दी जाती है। आवासों का आवंटन “डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी

रेग्यूलेशन्स-1970”, “पंजीकरण और आवंटन की संशोधित प्रक्रिया 1981” एवं इस सम्बन्ध में जारी संशोधनों एवं परिपत्रों के तहत किया जाता है। पंजीकृत आवेदकों की वरीयता का निर्धारण पंजीकरण वर्ष, आय वर्ग, भुगतान पद्धति के विकल्प तथा आरक्षित वर्ग अनुसार किया जाता है। आवासों का निर्माण शुरू होने पर वरीयतानुसार आवेदकों को आवास हेतु पूर्व ग्रहण राशि पत्र जारी कर पूर्व ग्रहण राशि एवं स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को आरक्षण पत्र जारी कर आरक्षण राशि की मांग की जाती है।

3.12 वर्गवार आवास आरक्षण का प्रावधान

विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित आवासों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान आदेशक्रमांक मु.स.प्र./2022/813 दिनांक 02.01.2023 द्वारा निम्नानुसार प्रभावी किया गया है :—

क्र. सं.	वर्ग	आरक्षण का विवरण	प्रश्नगत अधिसूचना की पालना में समायोजित			कुल योग %
			सामान्य (%)	(G-9) दिव्यांग (5%)	निराश्रित एवं भूमिहीन (G-11) एकल महिला (10%)	
1	G-1	(i) (अ) राज्य कर्मचारी/बोर्ड निगम/प्राईवेट सैक्टर के कार्यरत कर्मचारी (ब) सरकारी कर्मचारी की विधवायें (कर्मचारी की मृत्यु से) 10 वर्ष तक (स) केन्द्र सरकार के कर्मचारी	8.50	0.50	1.00	10.00
		(ii) (अ) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/सीमा सुरक्षाबल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के रक्षाकर्मी (ब) सैनिक विधवायें/वीरांगनायें (स्थल सेना को प्राथमिकता)	8.50	0.50	1.00	10.00
2	G-2	(i) सामान्य श्रेणी	33.58	1.98	3.95	39.50
		(ii) प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर)	4.25	0.25	0.50	5.00
3	G-3	मण्डल कर्मचारी	0.85	0.05	0.10	1.00
4	G-4	अनुसूचित जाति	13.60	0.80	1.60	16.00
5	G-5	अनुसूचित जन जाति	10.20	0.60	1.20	12.00
6	G-6	वर्तमान/भूतपूर्व विधायक/सांसद	0.85	0.05	0.10	1.00
7	G-7	स्वतंत्रता सेनानी	0.43	0.03	0.05	0.50
8	G-8	अधिस्वीकृत पत्रकार	1.70	0.10	0.20	2.00
9	G-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	0.85	0.05	0.10	1.00
10	G-12	परलैंगिक (Transgender) व्यक्ति	1.70	0.10	0.20	2.00

- नोट (1) सरकारी कर्मचारी की विधवा को वैतनिक वर्ग में आवास प्राप्ति हेतु कर्मचारी की मृत्यु के समय आय से 6.00 लाख से अधिक न हो तथा निराश्रित एवं भूमिहीन एकल महिला के मामले में आय 0.80 लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो।
(2) आरक्षित वर्गों के पर्याप्त आवेदक न होने पर शेष रहे आवासों को जी-2 वर्ग में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

3.13 पंजीकरण में आवेदक के निकट सम्बन्धी का नाम जोड़ने बाबत

किसी भी पंजीकृत आवेदक द्वारा आवेदन करने पर उसके पंजीकरण में उसकी इच्छानुसार आवेदक के माता-पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, भाई/बहन, पुत्रवधु, एवं पौत्र/पौत्री ही सम्मिलित किये जा सकेंगे। ये नाम आवास की रजिस्ट्री होने तक कभी भी जोड़े जा सकते हैं। इससे आवेदक को आवास हेतु वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त ऋण आसानी से प्राप्त हो सकेंगे तथा आवेदक को आवास प्राप्त करने के लिए धन की व्यवस्था करने में सुविधा होगी।

3.14 भुगतान पद्धति में परिवर्तन के सम्बन्ध में

- मण्डल में नियमानुसार किराया क्रय पद्धति में पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति में परिवर्तित कराने की सुविधा है, किन्तु विपरीत पद्धति में परिवर्तन पूर्णतया प्रतिबंधित है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान आमजन द्वारा किसी भी स्थान से बिना किसी व्यक्तिगत सम्पर्क के नीलामी में भाग ले सके, इस हेतु बुधवार नीलामी उत्सव के तहत ई-बिड सबमिशन के माध्यम से आवासों की कीमतों में कमी करते हुए 0 से 25 प्रतिशत एवं 0 से 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान करते हुए 156 मासिक किश्तों में आवास क्रय करने की योजना दिनांक 10.06.2020 से “10 प्रतिशत दीजिए गृह प्रवेश कीजिए” के संदेश के साथ प्रारम्भ की गई जो आदिनांक अनवरत जारी है।
- आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बिड मूल्य (Minimum Bid Price) पूर्व के वर्ष 2019-20 के अनुसार वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के लिए 07.11.2021 तक स्थिर रखी गयीथी। दिनांक 08.11.2021 के पश्चात् संशोधित की गई भूमि एवं विकास दर को वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 हेतु 30.06.2022 तक प्रभावी रखते हुए भूमि एवं विकास दर के अनुरूप आरक्षित मूल्य एवं न्यूनतम बिड मूल्य (Minimum Bid Price) का निर्धारण किया गया जो वर्तमान में भी लागू है।

3.15 किश्तों पर देय ब्याज दर

- i. आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1030/561 दिनांक 09.03.2006 तथा संशोधित आदेश क्रमांक 586 दिनांक 11.03.2010 के अनुसार आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों के आवंटियों से लागत में प्रभारित की जा रही ब्याज दर और किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवंटित आवासों के आवंटियों से सितम्बर 2019 तक वसूली जाने वाली ब्याज दर निम्नानुसार निर्धारितकी गई :—

क्र. सं.	आय वर्ग	ब्याज दर प्रतिशत	मासिक किश्तों की अवधि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	9.00%	240 माह
2.	अल्प आय वर्ग	12.00%	240 माह
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	12.75%	156 माह
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	13.25%	156 माह
5.	उच्च आय वर्ग	13.75%	156 माह

- ii आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत / 1030 / 561 दिनांक 09.03.2006 के अनुसार विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों पर परियोजना अवधि पर लिये जाने वाले ब्याज तथा किराया क्रय पद्धति में आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूल किये जा रहे ब्याज की दर आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत / 1017 / 1097 दिनांक 23.12.2015 के अनुसार दिनांक 01.10.2015 के बाद प्रारम्भ होने वाली नवीन पंजीकरण योजनाओं के लिए निम्नानुसार संशोधित की गई :—

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्व में प्रभावी ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर
1.	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	9.00%	8.00%
2.	अल्प आय वर्ग	12.00%	9.00%
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	12.75%	10.00%
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	13.25%	11.00%
5.	उच्च आय वर्ग	13.75%	12.00%

- iii आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत / 1019 / 1187 दिनांक 10.10.2019 के अनुसार अधिशेष आवासों की निर्माण लागत पर तथा किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों के आवंटियों से अक्टूबर 2019 से वसूलनीय ब्याज दर में निम्नानुसार संशोधन किया गया :—

क्र. सं.	आय वर्ग	ब्याज दर
1.	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	6.50%
2.	अल्प आय वर्ग	7.00%
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	8.00%
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	9.00%
5.	उच्च आय वर्ग	9.50%
6.	व्यावसायिक	10.00%
7.	संस्थानिक	10.00%

4.गुणवत्ता नियंत्रण

गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए आवासन मण्डल मुख्यालय पर पृथक् से एक उप आवासन आयुक्त स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं, जिनके अधीन दो आवासीय अभियंता जयपुर में तथा एक आवासीय अभियंता जोधपुर में मय अन्य तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी के साथ पदस्थापित है जो स्तरवांत्र रूप से अपने स्तर पर भी निर्माण सामग्री के नमूने एकत्रित कर पृथक् से स्थापित प्रयोगशाला में स्वतंत्र तरीके से परीक्षण करते हैं।

गुणवत्ता नियंत्रण हेतु वृत्त कार्यालयों/ खण्ड कार्यालयों के अधीन नियमित रूप से निर्माण सामग्री के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त मण्डल द्वारा विभिन्न भवन निर्माण सामग्री के नमूनों का परीक्षण सरकारी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों, भारत सरकार द्वारा स्थापित NABL स्वीकृत प्रयोगशालाओं से भी करवाया जाता है।

आदेश क्रमांक मुअ—मु/राआम/993 दिनांक 04.11.2015 द्वारा समस्त वृत्तों के क्षेत्राधिकार में प्रगतिरत विभिन्न प्रकृति की समस्त प्रगतिरत निर्माण परियोजनाओं का तृतीय पक्ष से स्वतंत्र निरीक्षण करवाने का प्रावधान किया जाकर संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को निरीक्षक नियुक्ति हेतु अधिकृत किया गया। स्वतंत्र जांचकर्ताओं द्वारा अपने स्तर से निरीक्षणाधीन निर्माण कार्यों के आवश्यक सेम्पल लिये जाकर इनकी जांच NABL अनुमोदित प्रयोगशाला में करवाने के उपरान्त जांच परिणाम भी अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाते हैं, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य न होने पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाती है।

निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं प्रभावी रूप से निगरानी करने हेतु मण्डल द्वारा एक मोबाईल ऐप “आरएचबीसजग” प्रारम्भ किया गया है जिसमें प्रतिमाह सभी खण्ड कार्यालयों द्वारा गुणवत्ता रिपोर्ट तृतीय पक्ष निरीक्षण रिपोर्ट एवं अन्य अधिकारियों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देश एवं उनकी अनुपालना विवरण व कार्यों की प्रगति संबंधी रिपोर्ट अपलोड की जा रही है। इस “सजग ऐप”的 जरियेउच्चाधिकारियों द्वारा प्रभावी रूप से समीक्षा की जा रही है।

5. आवासनमण्डल की आवासीय योजनाओं में नागरिक सुविधाओं का समावेश

आवासन मण्डल द्वारा विकसित सभी योजनाओं में आवश्यक नागरिक सुविधाएँ जैसे सड़कें, विद्युत, जल वितरण, पार्क व खुले मैदान, व्यावसायिक केन्द्र, सीवरेज व्यवस्था, रोड लाईट व्यवस्था, वृक्षारोपण, नालियों की व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है। मण्डल की आवासीय कॉलोनियों में अस्पताल, बैंक, डाकघर, स्कूल, कॉलेज आदि के भूमि आरक्षित कर इन संस्थाओं को मंडल के नियमानुसार भूमि उपलब्ध करायी जाती है। बोर्ड द्वारा विकसित की गयी योजनाओं में सभी सुविधाएं प्रदान करने के बाद इन सुविधाओं के रख-रखाव एवं सफाई व्यवस्था हेतु कॉलोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर दी जाती है। आवासीय योजना की सुपुर्दगी के समय संबंधित स्थानीय निकाय एवं मण्डल की आपसी सहमति से इस हेतु उचित राशि का भुगतान संबंधित निकाय को मण्डल द्वारा किया जाता है।

6. प्रचार प्रसार

जन सम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा आवासन मण्डल की विभिन्न उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं आदि से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी प्रचार के विभिन्न माध्यमों यथा दूरदर्शन, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों एवं विभागीय वैबसाईट के माध्यम से जन साधारण को उपलब्ध करवायी जाती है।

7. राशि संग्रहण केन्द्रों की स्थापना

आमजन की सुविधा हेतु, खातों के रख रखाव में सुगमता हेतु, राशि संग्रहण केन्द्र/विभिन्न बैंकों को अधिकृत किया गया है सूची आवासन मण्डल की वैबसाईट पर उपलब्ध है।

8. समस्याओं का समयबद्ध निराकरण

सुनवाई के अधिकार के तहत आदेश क्रमांक प1(1)कार्मिक/विविध/2009/जनसुनवाई/ 2132 दिनांक 18.09.2009 की पालना में मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आवासन आयुक्त महोदय द्वारा सुनवाई की जाती है जबकि समस्त वृत्त कार्यालयों पर उप आवासन आयुक्त द्वारा एवं स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों पर सम्बन्धित आवासीय अभियन्ताओं द्वारा सुनवाई की जाती है। आवेदक/आवंटी अपनी समस्या को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर भी दर्ज कराने का भी प्रावधान है। जन सुनवाई के लिए स्थान एवं समय का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :—

क्र. स.	अधिकारी का नाम	जन सुनवाई का स्थान	जन सुनवाई हेतु निर्धारित दिन/समय
1.	अध्यक्ष	आवासन मण्डल (मुख्यालय)	प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक
2.	आवासन आयुक्त	आवासन मण्डल (मुख्यालय)	प्रतिदिन दोपहर बाद 3 बजे से 4.30 बजे तक
3.	उप आवासन आयुक्त	सम्बन्धित वृत्त कार्यालय	सोमवार, मंगलवार, बुधवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक
4.	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	सम्बन्धित वृत्त कार्यालय	गुरुवार एवं शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक
5.	आवासीय अभियंता (स्वतंत्र खण्ड कार्यालय)	संबंधित खण्ड—कार्यालय	सोमवार, मंगलवार, बुधवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक
6.	तक. सहा. आवा. अभियंता (स्वतंत्र खण्ड कार्यालय)	संबंधित खण्ड—कार्यालय	गुरुवार एवं शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक

9. कम्प्यूटरीकरण:-राजस्थान आवासन मण्डल में कम्प्यूटर प्रकोष्ठ द्वारा ई—आक्षन, वैब साइट मैन्टेनेन्स, नये कम्प्यूटरों की खरीद, मुख्यालय स्थित कम्प्यूटरों का रख रखाव, मोबाइल एपै बनवाना के साथ—साथ निम्नांकित कार्यों का सम्पादन भी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जा रहा है :

i. वित्त एवं लेखा कार्य

वार्षिक बजट, वेतन बिल, कटोती विवरण, वेतन स्थिरीकरण, बकाया भुगतान विवरण, मासिक खाते (मुख्यालय), सामान्य भविष्य निधि लेखा, पेंशन सम्बन्धित कार्य, आयकर सम्बन्धित कार्य, आवंटियों से राशि संग्रहण का कार्य, आवंटी लेखा विवरण

ii आवासन कार्य

नवीन आवासीय योजनाओं का ऑनलाईन पंजीकरण —योजना/श्रेणीवार आवासों की वरीयता लॉटरी, आवास आवंटन लॉटरी, आवंटन पत्र, आवंटी की सूचनाओं सहित योजना का डेटा बेस जो कि ऑनलाईन उपलब्ध है। ई—सम्पर्क के माध्यम से प्राप्त समस्त शिकायतों का निवारण, ई—ट्यूर के माध्यम से उच्च अधिकारियों द्वारा किये जा रहे Inspectionकी मॉनिटरिंग, SPPPपोर्टल के माध्यम से निविदाओं के प्रकाशन की सूचना। ई—प्रोक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन टेन्डर प्राप्त करना व खोलना, जनकल्याण पोर्टल के माध्यम से आमजन को ज्यादा—ज्यादा से सूचना उपलब्ध करवाना, RTIपोर्टल के माध्यल से सूचना जल्द ही उपलब्ध करवाई जाने की कार्यवाही करना

iii संस्थापन कार्य:—मंडल के अधिकारियों/कार्मिकों की मासिक वेतन का लेखा कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

iv योजनाओं के नक्शे एवं योजना सम्बन्धी कार्य:— बुधवार नीलामी उत्सव हेतु विभिन्न योजनाओं के ले—आउट प्लान, आवासों की न्यूनतम बोली मूल्य, अन्य विवरण मंडल की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

10. भूमि अवाप्ति :—

मण्डल में वर्तमान में पंजीकृत आवेदकों को आवास उपलब्ध करवाने एवं भविष्य में आवासों की संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शहरों में भूमि अवाप्ति एवं आवंटन हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में 407.951 हैक्टेयर भूमि के 8 प्रकरणों में धारा— 27 की अधिसूचना जारी हो चुकी है परन्तु धारा—4(1) की अधिसूचना जारी नहीं हुई है (तालिका IV.a) 4786.41 हैक्टेयर भूमि के 18 प्रकरणों में धारा—27 अथवा धारा—4(1) तहत अधिसूचना जारी होना शेष है (तालिका IV.b)। इसके अतिरिक्त विशेषाधिकारी स्तर पर 17.59 हैक्टेयर (तालिका IV.c) भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

11. भौतिक प्रगति

11.1 वर्ष 2023–24 (माह नवम्बर—2023 तक)के लिये आवासीय गतिविधियों के विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	गतिविधियां	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1.	नये मकान प्रारम्भ करना	1293	402	31
2.	मकानों को पूर्ण करना	1038	1523	147
3.	मकानों का आवंटन	4208	2404	57
4.	मकानों का कब्जा देना	2822	4766	169

11.2 वर्ष 1970 से अब तक आवासीय गतिविधियों के विवरण की उपलब्धि

आवासन मण्डल की स्थापना से माह नवम्बर—2023 तक तक आवासों के प्रारम्भ/पूर्ण करने, आवंटन तथा कब्जा देने की वर्गवार स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आय वर्ग	नये आवास प्रारम्भ	आवास पूर्ण	आवास आवंटित	आवासोंके कब्जे
1.	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	85498	84121	83688	80419
2.	अल्प आय वर्ग	72985	71137	71041	67570
3.	मध्यम आय वर्ग—अ	43007	42673	42638	41633
4.	मध्यम आय वर्ग—ब	36057	35886	35733	35417
5.	उच्च आय वर्ग	22908	22311	22369	21909
कुल योग		260455	256128	255469	246948




स्टूडियो अपार्टमेंट, प्रताप नगर, जयपुर

12. वित्तीय तथा भौतिक प्रगति के ग्राफ

12.1 निर्माण कार्यों पर व्यय


मंडल की स्थापना से लेकर अबतक निर्माण कार्यों पर कुल राशि रु.9598करोड़ व्यय की गयी है। वर्ष 2023–24 के दौरान निर्माण कार्यों पर रु. 1373.21करोड़ के विरुद्ध रु. 343 करोड़ व्यय किये गये।



*(माह नवम्बर-2023 तक)


12.2 राजस्व प्राप्तियाँ

बोर्ड की स्थापना से लेकर अबतक राशि रु.15022करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। वर्ष 2023–24 में राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य रु. 1120.57करोड़ के विरुद्ध रु. 464 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ रहीं।




*(माह नवम्बर-2023 तक)


12.3 वर्ष 2023–24 के दौरान आवास की भौतिक प्रगति



12.4 मण्डल की मुख्य गतिविधियों का ग्राफ़



12.5मण्डल द्वाराआय वर्गानुसार आवास निर्माण प्रारम्भ करने का प्रतिशतवार विवरण



13.(i)पारदर्शिता बढ़ाने हेतु एवं आवंटी उन्मुख महत्वपूर्ण निर्णय :-

- आवासों की लागत में कमी :— सभी आय वर्गों के आवासों की लागत निर्धारण सिद्धान्तों में कमी हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार आदेश क्रमांक प.2(3)लागत / 1017 / 1097 दिनांक 23.12.2015 द्वारा लागत सिद्धान्तों व प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। जिसके फलस्वरूप आवासों की लागत में लगभग 10 प्रतिशत तक कमी हुई है।
- ई डब्ल्यू एस/एल आई जी आवासों की लागत में कमी:—EWS / LIG आवासों की लागत में कमी हेतु भूमि एवं विकास दर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु मध्यम आय वर्ग “ब” व उच्च आय वर्ग से क्रॉस सब्सिडी को बढ़ाकर क्रमशः 5 से 10 एवं 10 से 20 प्रतिशत कर दिया गया है। आवासन मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के आवेदकों को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों के लिए आवास का कब्जा सुपुर्द करने तक जमा कराई जाने वाली राशि को 15 प्रतिशत कर दिया गया है इन दोनों वर्गों के लिए आवास की किश्तें चुकाने की अवधि को 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है।
- पहचान के प्रमाण (KYC) :— आवास आवंटन हेतु पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये पहचान हेतु वांछित दस्तावेज अनिवार्य है। विभिन्न बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा उपभोक्ता की पहचान के लिये लागू के.वाई.सी. (KYC)नियमों को मण्डल में भी लागू किया जा चुका है।

- **पंजीकरण प्रपत्र का सरलीकरण:**—आवासों/फ्लैट्स के पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्रपत्र को सरलीकृत कर दिया गया है।
- आवासन मण्डल की योजनाओं हेतु आवेदकों की अस्थायी एंव स्थायीसूची, वरीयता/आवास आवंटन लॉटरी के पश्चात् सफल आवेदकों/आवंटियों की सूची को मण्डल की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाता है।
- आवास के कब्जा पत्र के साथ ही अदेय प्रमाण पत्र :—मण्डल द्वारा नगद भुगतान पद्धति, स्ववित्त पोषित योजना तथा नीलामी से निस्तारित सभी सम्पत्तियों के अदेय प्रमाण पत्र कब्जा पत्र के साथ ही जारी किया जाता है।
- **मण्डल द्वारा पूर्ण निर्मित आवास :**— आवासन मण्डल द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में पूर्ण निर्मित आवास ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- **बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशियसन का गठन :**—बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में कब्जा देने के उपरान्त रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी का गठन करवाया जाता है।
- **वर्षा जल संरक्षण हेतु प्रयास :**—प्रदेश की भीषण जल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये आवासन मण्डल की बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं, वाणिज्यिक केन्द्रों, सामुदायिक भवनों, कार्यालयों एवं अन्य भवनों में ‘वर्षा जल संरक्षण संचना’ विकसित की जा रही है।
- **बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन का स्टैन्डर्डाईजेशन मंडल द्वारा हेतु बुकलेट जारी की गई है।**
- **आगन्तुक सुझाव पुस्तिका :**—कार्य के सम्बन्ध में अपने सुझावों एवं विचारों को रखने हेतु सुझाव पुस्तिका प्रत्येक निर्माण स्थल पर उपलब्ध कराई गई है।
- **सामुदायिक केन्द्रों के संचालन हेतु नियमावली का पुनः सरलीकरण किया गया है।**
- **रु. 5.00 लाख से अधिक के उपापन (Procurement) कार्य ई-प्रोक पोर्टल माध्यम से सम्पादित :**— संशोधित आदेश क्रमांक मुअ—मु/राआम/2018/10 दिनांक 22.01.2018 द्वारा मण्डल की निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से ई-टेन्डरिंग पद्धति से निविदा आमन्त्रण की पूर्व निर्धारित सीमा रु 10.00 लाख एंव इससे अधिक को संशोधित कर एतद्वारा रु 5.00 लाख एंव इससे अधिक किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 22.01.2018 से प्रभावी है। संबंधित निविदाएँ राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के E-Procurement Portal के माध्यम से की जा रही हैं तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार मण्डल द्वारा रु 1.00 लाख से अधिक की निविदा की सूचना भी राज्य सरकार के पोर्टल SPPP पर अपलोड की जा रही है।
- **स्ववित्त पोषित योजना के तहत आवासों के निर्माण बाबत जारी की जाने वाली पंजीकरण पुस्तिका में वर्णित लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवंटी द्वारा यदि आवास निरस्त कराया जाता है तो सम्पूर्ण जमा राशि बिना कटौती 6 प्रतिशत ब्याज जोड़ते हुए आवंटी को लौटाये जाने का प्रावधान किया गया है।**
- **आवासन मण्डल की आवासीय योजना में उपलब्ध 4000.00 वर्गमीटर से अधिक की सम्पूर्ण भूमि (आवासीय, व्यावसायिक, संस्थानिक) का विवरण आवासन मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह सूचना Resurgent Rajasthan के Icon जो कि मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है, पर विलक कर देखा जा सकता है।**

- **पूर्ण एकीकृत कम्प्यूटराईजेशन** :—वर्तमान मे नई आवासीय योजनाओं के पंजीकरण का कार्य तथा जयपुर, जोधपुर स्थित सभी वृत्त कार्यालयों, वृत्त बीकानेर, अलवर, स्थित कार्यालयों में राशि संग्रहण का कार्य ऑनलाईन कर दिया गया है। शेष वृत्त कार्यालयों में यह कार्य प्रगति पर है। जयपुर स्थित आवासीय योजनाओं यथा इन्दिरा गांधी नगर, प्रताप नगर व मानसरोवर की योजनाओं के आवंटियों के खातों का संकलन, अदेय प्रमाण पत्र तथा प्रदेश में वरीयता एवं आवास आवंटन लॉटरी करने के कार्यों का कम्प्यूटराईजेशन किया जा चुका है। वित्त एवं बजट सम्बन्धित कार्य, तथा सम्पत्तियों के लेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

सम्पत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए आमजन; किसी भी स्थान से नीलामी में भाग से ले सके; इसके लिये आवासन मंडल द्वारा ई—बिड सबमिशन एवं ई—ऑक्शन के माध्यम से आवासों/वाणिज्यिक सम्पत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है।

(अ) अन्य राज्यों के आवासन मंडल के अधिकारियों से चर्चा कर कार्य संरचना पारदर्शी बनाने के क्रम में मंडल लेखे बनाने का कार्य हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर समस्त स्थानों पर एकरूपता लाने हेतु टेली अकाउन्टिंग सिस्टम लागू किया गया है।

(ब) इसके अतिरिक्त आमजन की सुविधार्थ मंडल की कुछ सेवाओं को ई मित्र से भी इन्टिग्रेटेड किया जा चुका है।

13.(ii)आवासन मण्डल द्वारा राज्य सरकार के प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में किये गये महत्वपूर्ण कार्य, अभिनव प्रयोग एवं नवाचारः—

- बुधवार नीलामी उत्सव ई—सबमिशन द्वारा—कोविड—19 महामारी में आमजन किसी भी स्थान से बिना किसी व्यक्तिगत सम्पर्क के नीलामी में भाग ले सके; इस हेतु बुधवार नीलामी उत्सव अर्थात प्रत्येक बुधवार के तहत ई—बिड सबमिशन के माध्यम से निर्धारित छूट पर 156 मासिक किश्तों में आवास क्रय करने की योजना दिनांक 10.06.2020 से “10 प्रतिशत दीजिए गृह प्रवेश कीजिए” के संदेश के साथ प्रारम्भ की गई यह योजना निरन्तरजारी है। सितम्बर 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक की नीलामी में 16500 से अधिक आवासीय सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया जिनका बोली मूल्य रु 2805 करोड़ है।
- अपनी दुकान अपना व्यवसाय—माह अक्टूबर 2020 में “अपनी दुकान अपना व्यवसाय” योजना के तहत 7 अक्टूबर 2020 से ई—बिड सबमिशन के माध्यम से 27 वर्ग मी. तक की कुल 1619 व्यावसायिक भूखण्डों/निर्मित दुकानों का निस्तारण किया गया जिसका बोली मूल्य रु 194 करोड़ है। इसके अतिरिक्त आदिनांक तक 27 वर्ग मी. से अधिक की व्यावसायिक भूखण्डों/दुकानों की कुल 163 सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया जिसका बोली मूल्य रु 89 करोड़ है। निर्मित दुकानों पर 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गयी।
- **प्रीमियम सम्पत्ति**—मंडल द्वारा पहली बार प्रीमियम सम्पत्तियों के रूप में खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारणप्रारम्भ किया गया। दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक 831 प्रीमियम सम्पत्तियों के नीलामी से मंडल को रु 1645 करोड़ की प्राप्ति अर्जित की गयी है।
- आवासन मंडल की राजस्थान में विभिन्न आवासीय योजनाओं में आमजन को राहत प्रदान करने हेतु अनिस्तारित आवासों/फ्लैटों की आरक्षित दरों में राज्य सरकार से

स्वीकृति उपरान्त 0–25 प्रतिशत एवं 0–50 प्रतिशत तक की छूट दी जाकर दिनांक 30 सितम्बर 2019 से आवासों का सफलतापूर्वक निस्तारण ई–ऑक्शन / ई बिड सबमिशन के माध्यम से आयोजित किया गया। तत्पश्चात् समय–समय पर नीलामी प्रक्रिया में सम–सामयिक परिवर्तन कर कोविड महामारी के बावजूद नीलामी कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे। तत्समय से दिसम्बर 2023 तक की अल्पावधि में 16500 आवासीयतथा 3150 व्यावसायिक सम्पत्तियों सहित कुल 19650 सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार अधिशेष आवासों, व्यावसायिक सम्पत्तियों के विक्रय, संस्थानिक आवंटन, लीज / किश्तें / ब्याज आदि के माध्यम से 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक का रिकॉर्ड टर्नओवर अर्जित किया गया।

- राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत बकाया मासिक किश्तों एवं लीज मनी पर अधिरोपित शास्ति/ब्याज में छूट :—वर्ष 2023–24 के दौरान आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग 'अ' एवं 'ब' तथा उच्च आय वर्ग के माह दिसम्बर, 2023 तक 3,491 आवंटी एक मुश्त बकाया मासिक किश्त/लीज राशि जमा कराने से लाभान्वित हुए। योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 के दौरान माह दिसम्बर, 2023 तक 33.81 करोड़ रु. की मासिक किश्तों/ब्याज/शास्ति पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई।
- नवीन आवासीय योजनाओं का शुभारम्भ —मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत भिवाड़ी में 712, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में 3354, इंदिरा गांधी जगतपुरा, जयपुर में 732 आवासों हेतु योजना का शुभारंभ किया गया। CMJAY के तहत विभिन्न योजनाओं में 4,798 बहुमंजिलीय आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसमें सभी आवासों का निर्माण कार्य पूर्णता पर है।
- आवासन मंडल द्वारा वर्ष 2021–22 में राज्य के विभिन्न शहरों यथा वाटिका, महला—जयपुर, निवाई—टोंक, नसीराबाद, किशनगढ़—अजमेर, बड़ली—जोधपुर, आबूरोड़—सिरोही, उदयपुर शहर, भींडर—उदयपुर, बांसवाड़ा एवं भीलवाड़ा में 2967 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जाकर 2923 आवासों का आवंटन कर 2101 आवेदकों को कब्जा प्रदान किया जा चुका है शेष प्रक्रियाधीन हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलो द्वारायोजना का दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को लोकार्पण किया जा चुका है। मंडल कार्मिकों हेतु 15 वर्ष पश्चात राज्य के 5 शहरों यथा जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, आबू रोड एवं भिवाड़ी में 356 स्वतंत्र आवासों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021 का शुभारम्भ किया गया, योजना हेतु दिनांक 31.12.2021 तक पंजीकरण प्राप्त किये गये हैं। जिसमें दिनांक 31.12.2021 तक आवेदन प्राप्त किये गये, वरियता निर्धारण किया जाकर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भिवाड़ी में 4, भीलवाड़ा में 52, बड़ली—जोधपुर में 27 आवासों हेतु मंडल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2022 का शुभारम्भ दिनांक 20.10.22 से 19.11.22 तक किया गया।
- विधायकों हेतु आवास—राज्य सरकार द्वारा माननीय विधायकों हेतु सम्पूर्ण सुविधायुक्त आवासों के निर्माण की महत्वाकांक्षी विधायक आवास परियोजना, ज्योति नगर, जयपुर हेतु आवासन मण्डल को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा दिनांक 11.08.2021 को किया गया। योजना का कार्य

पूर्ण कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 12.08.2023 को परियोजना का लोकार्पण किया गया मण्डल द्वारा दिसम्बर 2023 तक विधायक आवास परियोजना पर रु. 418 करोड़ का व्यय किया गया।

- **कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब जयपुर—कॉन्स्टीट्यूशनक्लब ऑफ राजस्थान** के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा क्रमांक प.8(19)नविवि/2021 दिनांक 15.04.2021 के माध्यम से राजस्थान आवासन मण्डल को क्रियान्वयन संस्था बनाया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक जविप्रा/उपा-3/2021/डी-613 दिनांक 27.10.2021 द्वारा विधायक नगर (पूर्व) की भूमि मे कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान हेतु 4948.92 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित की गई। दिनांक 09.02.2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया गया। योजना का कार्य पूर्ण कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22.09.2023 को परियोजना का लोकार्पण किया गया। माह दिसम्बर 2023 तक परियोजना पर रु. 78 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- **विपणन शाखा (Marketing Cell)** का गठन :— आदेश क्रमांक मुसप्र/2019/966 दिनांक 26.11.2019 के द्वारा आवासन मण्डल की योजनाओं के प्रचार—प्रसार एवं दीर्घकाल से अनिस्तारित सम्पत्ति के निर्स्तारण के विकल्प एवं समाधान हेतु विपणन शाखा (Marketing Cell) का गठन किया गया है।
- **उद्यानिकी शाखा (Horticulture Wing)** का गठन – आदेश क्रमांक प.1(1)कार्मिक/तक/बोमी/239.17/2019/2250 दिनांक 03.12.2019 के द्वारा मुख्य अभियन्ता (मु0) के अध्याधीन उद्यानिकी शाखा का गठन किया गया है। उद्यानिकी शाखा के गठन का मुख्य उद्देश्य मण्डल की विभिन्न परियोजनाओं/कॉलोनियों एवं विभिन्न पार्कों में व्यस्थित पद्धति से पौधारोपण कर हरियाली विकसित कर स्थानीय लोगों की हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना है। वर्तमान में मण्डल द्वारा विभिन्न स्थानों पर एक लाख से अधिक पेड़ पौधे लगा रहा है। उद्यानिकी शाखा द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य :—
 - 1 सिटी पार्क—इस 52 एकड़ के पार्क में 39 एकड़ ग्रीन एरिया है। जहाँ 14 हजार से अधिक नीम, अर्जुन, पीपल, मीठा नीम, अशोक, बांस, ईमली, टीक, कुसुम एवं अनेक फलदार पौधे लगाये गये हैं।
 - 2 प्रताप नगर एवं मानसरोवर स्थित चौपाटियों तथा प्रताप ऐवेन्यू मे भी हजारों पेड़ पौधे लगाये गये हैं।
 - 3 महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, कोचिंग हब, गंगा मार्ग, विद्यायक आवास, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना आदि के अलावा राज्य के विभिन्न शहरों में पौधारोपण का कार्य किया गया।
- **आवासन मण्डल की भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा दोषी आवंटियों से राशि वसूली का विधिक अधिकार** :— किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों का लगातार उपयोग करने के बावजूद भी किश्तों व अन्य देय राशियों का लंबे समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है, ऐसे दोषी आवंटियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं आवासन मण्डल की भूमि पर अतिक्रमण हटाने का विधिक अधिकार आवासन मण्डल अधिनियम 1970 में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरान्त प्रदान किया गया है। राज्य के विभिन्न शहरों में अतिक्रमियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुये माह दिसम्बर 2023 तक लगभग 3 लाख वर्ग.

मी. से अधिक भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गयी जिसका अनुमानित बाजार मूल्य रु. 2100 करोड़ है।

- **प्रवर्तन शाखा (Enforcement Wing)** का गठन —अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी व समयबद्ध कार्यवाही के लिए अन्य शहरी निकायों यथा विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों तथा स्थानीय निकायों की भाँति मंडल की स्वयं की प्रवर्तन शाखा की स्थापना प्रक्रियाधीन है।
- प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021–2 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ हुए “प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021” के तहत राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप 19 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है एवं तदनुरूप आवेदन प्राप्त हो रहे हैं एवं उनका त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। इस हेतु सभीवृत्त/स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों में पृथक् से हैल्प डैस्क स्थापित किये गये हैं।

14.आवासन मण्डल द्वारा शुरू की गयी जनकल्याणकारी योजनाएँ

- महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना—आवासन मण्डल द्वारा ग्राम नायला, जयपुर में आवंटित राजकीय भूमि पर नियोजित दस्तकार नगर योजना में 750 आवासीय इकाई मय कार्यशाला का निर्माण रु. 81.03 करोड़ का व्यय कर कराया गया था। जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22.08.2020 को योजना के 597 आवासों को वीकेंड होम के तौर पर शुभारम्भ किया था। वर्तमान में कुल 736 आवासों का आवंटन किया जाकर कुल 637 आवासों का कब्जा दिया जा चुका है।
- मानसरोवर योजना में “सिटी पार्क” का विकास—एशिया की सबसे बड़ी आवासीय योजना मानसरोवर जयपुर में सबसे बड़े पार्क सिटीपार्क को विकसित करने की महत्वांकाक्षी परियोजना को लगभग 52 एकड़ भूमि पर नियोजित किया गया जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22.08.2020 को किया गया था। योजना में लगभग 40000 व.मी. भूमि पर फाउन्टेन स्क्वायर नियोजित किया जायेगा। योजना की कुल लागत 110.00 करोड़ संभावित है। सिटीपार्क का लोकार्पण दिनांक 21.10.2022 को किया जा चुका है। योजना में माह दिसम्बर 2023 तक 75.00 करोड़ रु0 का व्यय किया जा चुका है।
- **चौपाटी**—जयपुर में प्रतापनगर, मानसरोवर एवं दस्तकार नगर नायला योजनाओं में रामनिवास बाग के “मसाला चौक” की तर्ज पर “जयपुर चौपाटी” विकसित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रताप नगर व मानसरोवर चौपाटी का जनोपयोग हेतु लोकार्पण दिनांक 01.11.2021 को किया गया। इसके अतिरिक्त कुन्हाडी योजना कोटा में भी चौपाटी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसके अन्तर्गत 17 दुकानें और कियोस्क का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण दिनांक 09 जुलाई 2023 को किया जा चुका है। चौपासनी योजना जोधपुर में भी चौपटी का निर्माण कार्य पूर्णता पर है।
- गुणवत्ता नियंत्रण हेतु “सजग” मोबाईल ऐप विकसित किया जाना—माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आवासन मण्डल द्वारा बनाये जा रहे आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं सम्पूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु एक मोबाईल ऐप “सजग”

विकसित किया गया है जिसके माध्यम से सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की समस्त गतिविधियों को एक ही जगह एक साथ देखा जा सकता है। “सजग ऐप” का विधिवत् विमोचन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 22.08.2020 को किया गया था। समस्त निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु ऐप का उपयोग प्रारम्भ किया जा चुका है। इस ऐप में परियोजना से सम्बन्धित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ-साथ कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चितता से सम्बन्धित कार्यवाही ऐप पर हर माह नियमित रूप से अद्यतन की जा रहा है। अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण, प्रदत्त निर्देश, निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण, स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण रिपोर्ट, कार्य में आ रही बाधा आदि भी सजग ऐप पर अपलोड की जा रही हैं।

- “आरएचबी ग्रीन” मोबाईल ऐप एवं वेबसाईट—आवासन मंडल द्वारा विकसित किये गये मोबाईल ऐपRHB Green एवं इसी नाम से विकसित की गयी वेबसाईट के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में राज्य सरकार के सघन वृक्षारोपण करने के निर्देशानुसार मानसून की अवधि में सफलतापूर्वक वृक्षारोपण कराया गया।
- “आरएचबी आवास” मोबाईल ऐप—आवासन मंडल द्वारा राज्य के सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्रों में आवास मांग के आंकलन हेतु एक मोबाईल ऐप “आरएचबी आवास” विकसित किया गया है जिसका दिनांक 02.10.2021 को शुभारम्भ किया गया। सर्वे के परिणामों के अनुरूप नयी आवासीय योजनाओं का सृजन किया जा सकेगा। 30 सितम्बर 2023 तक 11,174 प्रविष्टियां अंकित की गई हैं।
- मुक्ताकाश जिम की स्थापना —आवासन मंडल की हस्तान्तरित एवं अहस्तान्तरित आवासीय योजनाओं में विकसित किये गये पार्कों में माननीय मुख्यमंत्री की पहल के तहत 119 मुक्ताकाश जिम स्थापित किये गये हैं। आवासन मंडल के कार्यालयों में भी जिम स्थापित किये गये हैं।
- नये बाजार/ शॉपिंग सेंटर का विकास:
 - आयुष मार्केट, प्रतापनगर—राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेस सैक्टर 18 प्रताप नगर जयपुर के समीप स्थित भूमि पर 54 व्यावसायिक भूखण्ड नियोजित किये गये जिसमें समस्त भूखण्डों का निस्तारण ई—ऑक्शन द्वारा किया गया है।
 - राणा सांगा मार्केट, प्रताप नगर—सैक्टर 28 जयपुर में राणा सांगा मार्ग पर स्थित भूमि पर 160 व्यावसायिक भूखण्ड नियोजित किये जाकर विकसित किये गये हैं। 44 भूखण्डों की नीलामी की जा चुकी है।
 - आरएचबी आतिश मार्केट—दिनांक 20.12.2019 को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु “आरएचबी आतिश मार्केट” का शुभारम्भ किया गया। योजना में कुल 89 गणित्यिक भूखण्ड एवं 3 कियोस्क नियोजित किये गये हैं योजना में विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नीलामी द्वारा 89 भूखण्डों तथा 03 कियोस्क का निस्तारण किया जाकर 72 भूखण्डों का कब्जा आवंटियों को सौंपा गया है।
 - श्री झूलेलाल तिब्बती मार्केट, मानसरोवर—तिब्बती शरणार्थियों को 266 दुकानों का आवंटन, 59 दुकानों की खुली बिक्री योजना के तहत विक्रय, फूड कोर्ट की 6 दुकानों का ई—ऑक्शन द्वारा विक्रय। इस मृतप्राय मार्केट का जीर्णोद्धार पूर्ण कर मात्र 0 नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल द्वारा दिनांक 17.11.2021 को भव्य उद्घाटन।

- कोचिंग हब आर्केड, प्रताप नगर–कोचिंग हब परिसर के अग्रभाग में एक कोचिंग हब आर्केड का नियोजन किया गया है, जिसमें 03 तलों में 90 दुकानों (4.5x9.0 मी0) का निर्माण कार्य पूर्ण। विभिन्न निस्तारित सम्पत्तियों से कुल रूपये 184.37 करोड़ का राजस्व प्राप्त होना है। योजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं द्वितीय चरण में निर्मित किये जा रहे 03 संस्थानिक ब्लॉकों का कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि जनवरी 2024 है एवं एडमीन ब्लॉक का कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि नवम्बर 2024 है।
- ग्रीनवुड शॉपिंग आर्केड, प्रतापनगर–सैक्टर 28 में राणा सांगा मार्ग पर 132 दुकानों का एक शॉपिंग आर्केड का नियोजन किया गया है, जिसका नीलामी द्वारा शीघ्र ही निस्तारण किया जायेगा।

15. आवासनमण्डल की महत्वपूर्ण योजनाएँ :-

15.1 वृत्तमानसरोवर, जयपुर

जयपुर शहर में आवास हेतु वर्ष 1979 के पंजीकृत आवेदकों के लिए मानसरोवर योजना विकसित की गयी थी। इस योजना में दिसम्बर 2023 तक विभिन्न श्रेणी के 28025 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया था जिसमें से 28025 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 27897 आवास आवंटियों को हस्तांतरित किये जा चुके हैं। मानसरोवर में द्वारकादास मार्ग पर जयपुर चौपाटी का निर्माण कार्य पूर्ण कर निर्मित 22 दुकानों का 05 वर्ष हेतु लीज पर आवंटन कर आवंटन पत्र आवंटियों को संभला दिये गये हैं। चौपाटी का लोकार्पण दिनांक 01.11.2021 को किया जा कर आमजन हेतु खोल दिया गया है। एशिया की सबसे बड़ी आवासीय योजना मानसरोवर जयपुर में वृहद सिटी पार्क को विकसित करने की महत्वांकाक्षी परियोजना को लगभग 52 एकड़ भूमि पर नियोजित किया जाकर प्रथम चरण का कार्य पूर्ण है, जिसका शिलान्यास दिनांक 22.08.2020 को किया गया था। योजना में लगभग 40000 वर्गमी. भूमि पर फाउन्टेन स्क्वायर भी नियोजित किया जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। योजना की संभावित कुललागत रु. 110.00 करोड़ है। सिटीपार्क के प्रथम चरण का मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लोकार्पण दिनांक 21.10.2022 को किया जाचुका है एवं द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है। योजनामें 75.00 करोड़ रु. का व्यय किया जाचुका है।

15.2 वृत्त इन्दिरा गांधी नगर योजना, जगतपुरा, जयपुर

वृत्त-तृतीय, जयपुर के अधीन इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में अब तक आवास/फ्लैटों का कार्य प्रारम्भ कर 9734 आवास/फ्लैट पूर्ण किये जा चुके हैं, जिनमें से 9695 आवासों/फ्लैटों का आवंटन कर 9234 आवासों/फ्लैटों का कब्जा दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना :- योजना में सैक्टर 07 के भूखण्ड संख्या GH-3 एवं GH-4 पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बहुमंजिली आवासीय योजना का नियोजन किया गया है। GH-3 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 340, GH-4 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 104 तथा अल्प आय वर्ग के 288 फ्लैट निर्मित किये गये हैं। माह जून 2023 तक सभी आवंटियों को आवंटन पत्र जारी कर दिये गये हैं। इसी प्रकार निवाई आवासीय योजना के प्रथम फेज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 25 अल्प आय वर्ग के 92 मध्यम आय वर्ग “अ” के 45 एवं द्वितीय फेज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 38 अल्प आय वर्ग के 165 मध्यम आय वर्ग “अ” के 39 मध्यम आय वर्ग “ब” के 12 तथा उच्च आय वर्ग के 30 स्वतंत्र आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। प्रथम एवं द्वितीय चरण के आवासों का आवंटन किया जाकर आवंटन पत्र जारी किये जा चुके हैं।

15.3 वृत्त प्रताप नगर (सांगानेर /महला/वाटिका)

प्रताप नगर सांगानेर/महला (जयपुर) में अब तक 42674 आवासों/फ्लैट्स का निर्माण प्रारम्भ कर 39981 आवास/फ्लैट पूर्ण किये गये हैं। इनमें से 36847 का भौतिक कब्जा आवंटियों को सौपा जा चुका है। वर्तमान में प्रताप नगर सांगानेर योजना में विभिन्न आय वर्ग के 2693 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- **वाटिका आवासीय योजना** :— ग्राम वाटिका में विशिष्ट पंजीकरण योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 337 आवास, अल्प आय वर्ग के 287 आवास, मध्यम आय वर्ग—अ के 165 आवास हेतु दिनांक 01.09.2020 से पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गयी। उक्त योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 315 आवास, अल्प आय वर्ग के 279 आवास, मध्यम आय वर्ग—अ के 163 आवास कुल 757 आवासों का कब्जा दिया जा चुका है।
- **मुख्यमन्त्री जन आवास योजना** :— सैकटर-3 (G+12) प्रताप नगर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 504 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 208 फ्लैट एंव सैकटर-28 (G+11) में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 480 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 576 फ्लैट्स हेतु दिनांक 01.09.2020 से पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गयी। प्राप्त पंजीकरणों का वरियता निर्धारण किया जाकर योजनान्तर्गत सभी फ्लैट्स का निर्माण प्रगति पर है। आवंटन लॉटरी दिनांक 23.11.2022 द्वारा सैकटर-3 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 497 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 204 फ्लैट आवंटित कर आवंटन पत्र जारी किये जा चुके हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 431 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 181 फ्लैटों का भौतिक कब्जा दे दिया गया है। सैकटर-28 (G+11) में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 471 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 516 फ्लैट्स का आवंटन कर दिया गया है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 471 फ्लैट्स का कब्जा दे दिया गया है।
सैकटर-8 प्रताप नगर में (G+12) आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 130 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 110 फ्लैट एंव सैकटर-26 में (G+12) आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 726 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 620 फ्लैट्स हेतु दिनांक 01.09.2021 से 30.09.2021 तक पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गयी। सैकटर-8 एंव सैकटर-26 में दिनांक 25.01.2022 को वरीयता निर्धारण कर 29.09.2023 को आवंटन पत्र जारी किया गया। कार्य प्रगति पर है।
- **मुख्यमन्त्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना** :—आवासन मण्डल ने प्रताप नगर योजना में राज्य के शिक्षकों एवं प्रहरियों हेतु 20,925 वर्ग मी. पर क्रमशः 288—288 (कुल 576) बहुमंजिले आवासों (B+S+12);जिसमें प्रत्येक आवास का बिल्टअप एरिया 706 वर्ग फीट है; मुख्यमन्त्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना रूपये 15.70 लाख प्रत्येक फ्लैट की लागत पर नियोजित किये गये हैं। योजना में 546 फ्लैट्स आवंटित कर 473 आवंटियों को कब्जा भी दिया जा चुका है।
- **जयपुर चौपाटी** :—प्रताप नगर आवासीय योजना के सेकटर-23 में जयपुर चौपाटी का निर्माण कार्य पूर्ण कर निर्मित 28 दुकानों का लीज पर आवंटन कर दिया गया है। लोकप्रिय उपरान्त आमजन लाभान्वित हो रहे हैं।

- **महला आवासीय योजना:**— इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग के 190आवास, अल्प आय वर्ग के 1426आवास एवं मध्यम आय वर्ग—अ के 162आवास कुल 1778आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- **प्रताप नगर योजना, जयपुर में वृहद् कोचिंग हब का विकास—** प्रतापनगर सांगानेर योजना के हल्दी घाटी मार्ग स्थित सैकटर 16 में पन्नाधाय सर्किल के पास 65,000 वर्गमीटर भूमि पर वृहद् कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। परियोजना में निर्मित 90 शोरुमों में से कुल 57 शोरुमों का नीलामी से निस्तारण किया जा चुका है। योजना में कुल राशि रूपये 186.17करोड़ रु. व्यय किया जा चुका है। योजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं द्वितीयचरण में निर्मित किये जा रहे 03 संस्थानिक ब्लॉकों का कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि जनवरी 2024 है एवं प्रशासनिक ब्लॉक का कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि नवम्बर 2024 है।
- “एआईएस रेजीडेन्सी” आवासीय योजना—स्ववित पोषित योजनान्तर्गत सैकटर—17 प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर में बहुमंजिलीय आवासीय योजना हेतु “अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) रेजीडेन्सी” के तहत उच्च आय वर्ग के 180 फ्लैट्स (B1+B2+12) नियोजित किया जाकर निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। फेज—प्रथम में 104.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजना में अधिकारियों के रुझान को दृष्टिगत रखते हुये “अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) रेजीडेन्सी” फेज—2 में 114 बहुमंजिले फ्लैट्स का निर्माण प्रारम्भ किया जाकर कार्य प्रगति पर है। लगभग रु. 43.50 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- “एस. एस. रेजीडेन्सी”—एस.एस. रेजीडेन्सी आवासीय योजना सैकटर—19 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर में 12537.05 वर्गमीटर में प्रस्तावित की गई है जिस पर लगभग 127 करोड़ का व्यय अनुमानित है। यह योजना अगस्त 2024 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। इस योजना में उच्च आयवर्ग—प्रथम के 24 फ्लैट्स, उच्च आयवर्ग—द्वितीय के 60 फ्लैट्स एवं उच्च आयवर्ग—तृतीय के 91 फ्लैट्स का नियोजन किया गया है। योजना में उच्च आयवर्ग—प्रथम के 21 फ्लैट्स, उच्च आयवर्ग—द्वितीय के 54 फ्लैट्स एवं उच्च आयवर्ग—तृतीय के 50 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है। शेष 50 फ्लैट्स हेतु पंजीयन प्राप्त कर आरक्षण पत्र जारी कर दिये गये हैं, निर्माण कार्य प्रगति पर है जो माह अगस्त 2024 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। इन 50 फ्लैट्स के निर्माण पर रु. 88.59 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
- **समृद्धि अपार्टमेन्ट—समृद्धि अपार्टमेन्ट** आवासीय योजना सैकटर 22 प्रताप नगर, जयपुर में दो पार्ट में प्रारम्भ की गई है। प्रथम पार्ट में 120 फ्लैट्स (एस+6) नियोजित है। जिनमें से 118 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है। इन फ्लैट्स के निर्माण पर दिसम्बर 2023 तक 2.90 करोड़ का खर्च किया जा चुका है एवं कार्य प्रगति पर है। द्वितीय पार्ट में 39 फ्लैट्स (जी+3) नियोजित हैं जिनमें से 39 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है इन फ्लैट्स के निर्माण पर दिसम्बर 2023 तक 0.60 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। उक्त दोनों योजनाएँ मार्च 2025 तक पूर्ण होना प्रस्तावित हैं।
- **माही अपार्टमेन्ट—माही आवासीय योजना** सैकटर 23 प्रताप नगर, जयपुर में प्रारम्भ की गई है। उक्त योजना में 225फ्लैट्स (बी+एस+9) नियोजित किये गये हैं, जिनमें से

225 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है। इन फ्लैट्स के निर्माण पर दिसम्बर 2023 तक 3.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। उक्त योजना जुलाई 2025 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

• 15.4 वृत्त जोधपुर प्रथम एवं द्वितीय

कुड़ी भगतासनी योजना :— जोधपुर कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में अब तक 15805 आवासों/फ्लैट्स का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 15805 आवासों/फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 15441 आवासों/फ्लैट्स का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 14868 आवासों/फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपुर्द कर दिया गया है।

विवेक विहार योजना, जोधपुर :— विवेक विहार योजना, जोधपुर में अब तक 1936 फ्लैट्स का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 1936 फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 1834 फ्लैट्स का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 1200 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपुर्द कर दिया गया है।

महात्मा गाँधी सम्बल आवासीय योजना बड़ली— वर्ष 2008 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा ग्राम बड़ली में 1100 बीघा भूमि राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित की गयी। उक्त आवंटित भूमि में से 990 बीघा भूमि का कब्जा दिनांक 25.06.2009 को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्राप्त किया जाकर डीमार्केशन पश्चात् 833.49 बीघा भूमि योजना हेतु उपलब्ध है। बड़ली आवासीय योजना जोधपुर में 1442 आवासों का निर्माण कार्य शुरू कर 640 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं तथा कुल 626 आवासों का आवंटन कर 584 आवासों का भौतिक कब्जा दिया जा चुका है। शेष 802 नए आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिन्हें 2024–2025 में पूर्ण किया जाना है। ₹ 8.82 करोड़ की लागत से नाले के निर्माण कार्य प्रगति पर है।

चौपासनी आवासीय योजना :— चौपासनी योजना में कुल विभिन्न श्रेणीयों के 13103 स्वतन्त्र आवासों एवं 692 बहुमंजिले आवासों का निर्माण कर 13102 स्वतन्त्र आवासों एवं 639 बहुमंजिले फ्लेट का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपुर्द कर दिया गया है। अधिशेष फ्लेटों का निस्तारण ‘बुधवार नीलामी उत्सव’ के तहत किया जा रहा है। जोधपुर चौपाटी विधिवत आमजन हेतु प्रारम्भ कर दी गयी है, जिसके अन्तर्गत 22 दुकानों 10 कियोस्क का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जोधपुर स्थित “उद्यान अपार्टमेन्ट योजना” के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के (बी+एस+9) के 180 तथा मध्यम आय वर्ग—ब के (बी+एस+9) के 108 फ्लेटों हेतु स्ववित्त पोषित नवीन पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गयी। उक्त पंजीकरण योजना में आवेदन करने की तिथि दिनांक 17.04.2023 से 30.06.2023 तक थी।

केरू आवासीय योजना जोधपुर :— जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ग्राम केरू (जोधपुर) के खसरा न. 812 में से कुल 1500 बीघा भूमि राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर को आवंटित की गई है जिसके लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण को लगभग 150.00 करोड़ रु. का भुगतान किया जाकर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि पर योजना विकसित करने हेतु प्लानिंग की जा रही है। तत्पश्चात् पंजीकरण योजना प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है।

आबूरोड़ आवासीय योजना :— आबू रोड में आकरा भाटा एवं मानपुर में आवासीय योजनाओं का नियोजन किया गया है। आकराभट्टा आबूरोड में विभिन्न आय वर्गों के कुल 629 मकानों का निर्माण कर 611 आवासों का भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। मानपुर आवासीय योजना, आबूरोड में 1075 आवासों का निर्माण किया जाकर 1057 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 1001 आवासों का भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। मण्डल कर्मचारियों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के 31, मध्यम आय वर्ग—ब के 7 तथा मध्यम आय वर्ग—अ के 17 कुल 55 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जैसलमेर आवासीय योजना :— कुल विभिन्न श्रेणीयों के 422 स्वतन्त्र आवासों एवं 84 बहुमंजिले आवासों का निर्माण कर 418 स्वतन्त्र आवासों एवं 65 बहुमंजिले फ्लैटों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपुर्द कर दिया गया है।

फलोदी आवासीय योजना :— फलोदी आवासीय योजना मे वर्ष 2004 मे 112 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009 मे 50 बीघा भूमि का आवंटन किया गया हैं इस भूमि पर कुल 1172 मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण कर 1156 आवासों के भौतिक कब्जे सुपुर्द कर दिये गये हैं।

बाड़मेर आवासीय योजना : बाड़मेर शहर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 384 तथा अल्प आय वर्ग के 192 बहुमंजिले (जी+3) आवासों का निर्माण कर 390 फ्लैटों का आवंटन कर दिया गया है। अधिशेष फ्लैटों का निस्तारण ई—सबमीशन/ई—ऑक्शनयोजना के माध्यम से किया जा जा रहा है।

15.5 भिवाड़ी (अलवर)

भिवाड़ी शहर में अब तक 6913 आवासों/फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। 6193 आवासों को पूर्ण कर दिया गया है, 6849 आवासों/फ्लैट्स का आवंटन तथा 6112 आवासों/फ्लैट्स का भौतिक कब्जा भी दिया जा चुका है।

15.6 वृत्त उदयपुरके अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ

उदयपुर शहर में माह दिसम्बर 2023 तक कुल 12027 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाकर 11937 आवासों को पूर्ण कर दिया गया है तथा 11925 आवासों का आवंटन कर 11904 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपुर्द किया जा चुका है।

भीलवाड़ा खण्ड के अन्तर्गत दिसम्बर 2023 तक कुल 11993 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाकर 11937 आवासों को पूर्ण कर दिया गया है तथा 11914 आवासों का आवंटन कर 11849 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपुर्द किया जा चुका है।

चित्तौड़गढ़ शहर के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2023 तक कुल 4183 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाकर 4083 आवासों को पूर्ण कर दिया गया है तथा 4064 आवासों का आवंटन कर 4040 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपुर्द किया जा चुका है।

बांसवाड़ा शहर में माह दिसम्बर 2023 तक कुल 2919 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाकर 2915 आवासों को पूर्ण कर दिया गया है तथा 2912 आवासों का आवंटन कर 2901 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपुर्द किया जा चुका है।

झूंगरपुर शहर में माह दिसम्बर 2023 तक कुल 2282 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाकर 2282 आवासों को पूर्ण कर दिया गया है तथा 2275 आवासों का आवंटन कर 2275 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपूर्द किया जा चुका है।

15.7 कोटा

कोटा वृत्त के अधीन चार जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड़ तथा बारां में विभिन्न स्थानों पर मण्डल द्वारा आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया गया है। इन कॉलोनियों में विभिन्न आय वर्ग के कुल 30801 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया जा कर कुल 30787 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है।

कोटा शहर में मण्डल द्वारा अब तक 23586 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा कर 23581 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया जिसमें से 23574 आवासों का आवंटन किया जाकर 23539 आवासों का कब्जा दिया जा चुका है।

- **15.8 बीकानेर**

- बीकानेर शहर में आवासन मण्डल की अधीन पवनपुरी, मुक्ताप्रसाद नगर दो आवासीय योजनाएँ हैं जिन्हें वर्ष 2018–19 में नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है। उपरोक्त योजनाओं में कुल 6477 आवासों का निर्माण प्रारम्भ कर 6457 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 6444 आवंटन किया जा चुका है तथा 6431 आवासों का भौतिक कब्जा भी दिया जा चुका है।

16 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी— 2009 के अन्तर्गत उपलब्धियाँ

राज्य सरकार द्वारा राज्य में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी—2009 वर्ष 2009 में लागू की गई थी। आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2009–10 से अब तक इस योजना में की गई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	वर्ष	निर्माण प्रारम्भ किये गये आवासों की संख्या
1	2009–10	8651
2	2010–11	2949
3	2011–12	3872
4	2012–13	8251
5	2013–14	6237
6	2014–15	5787
7	2015–16	3089
8	2016–17	16
9	2017–18	0
10	2018–19	0
11	2019–20	2
12	2020–21	3483
13	2021–22	2527
14	2022–23	2734
15	2023–24 (Nov. 2023 तक)	243
कुल योग		47841

17 Real Estate Regulatory Authority (RERA)

RERA Actके तहत राज्य सरकार द्वारा लागू (RERA Rule) की अनुपालना में मण्डल द्वारा भी अपने आवंटियों को पारदर्शिता एंव गुणवत्ता पूर्ण आवास निश्चित समय पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2023–24 के दौरान 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 15 नई परियोजनाएँ रेता अधिनियम में पंजीकृत करवायी गयी। आवासन मण्डल की अब तक कुल 110 परियोजनाएँ रेता अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो चुकी है। विवरण मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

तालिका I

मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2023 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये शहर/कस्बों की सूची

1. आबू रोड़	24 दौसा	47. पिण्डवाड़ा
2. अजमेर	25 धौलपुर	48. प्रतापगढ़
3. अकलेरा	26 डूंगरपुर	49. रायला
4. अलवर	27. गुलाबपुरा	50. राजसमंद
5. अटरू	28 हनुमानगढ़	51. रामगंजमण्डी
6. बालोतरा	29. जयपुर	52. श्रीगंगानगर
7. बांसवाड़ा	30. जैसलमेर	53. सवाई माधोपुर
8 बारां	31. झालावाड़	54. सागवाड़ा
9 अन्ता	32. झालरापाटन	55. सलुम्बर
10. बड़ी सादड़ी	33. झुंझुनू	56. सीकर
11. ब्यावर	34. जोधपुर	57. सिरोही
12. भरतपुर	35. किशनगढ़	58. सिवाना
13. भवानीमण्डी	36. कोटा	59. सुमेरपुर
14. भीलवाड़ा	37. कोटपुतली	60. सुनेल
15. भिण्डर	38. लाखेरी	61. सुरतगढ़
16. भिवाड़ी	39. नागौर	62. टोंक
17 बीकानेर	40. नैनवा	63. उदयपुर
18 बूंदी	41. नसीराबाद	64. मांगरोल
19. छबड़ा	42. नाथद्वारा	65. बाड़मेर
20 छीपाबड़ौद	43. निम्बाहेड़ा	66. निवाई
21 चित्तौड़गढ़	44. पाली	67. शाहपुरा
22 चौमेहला	45. फलौदी	
23 चूरू	46. परतापुर	

तालिकाII(a)
शहरवार / आय वर्ग अनुसार आवासों का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण की सूची

क्र. सं.	शहर	आवासों का कार्य प्रारम्भ						आवास पूर्ण					
		आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
1	आबू रोड	654	605	337	171	55	1822	604	601	320	155	24	1704
2	अजमेर	1681	1149	991	827	350	4998	1681	1149	991	827	350	4998
3	अकलेरा	372	0	0	0	0	372	372	0	0	0	0	372
4	अलवर	2618	1827	1688	1000	375	7508	2618	1827	1688	1000	375	7508
5	अटरू	286	103	25	9	3	426	286	103	25	9	3	426
6	बालोतरा	417	356	218	207	28	1226	417	356	218	207	28	1226
7	बांसवाड़ा	1178	996	413	268	72	2927	1174	996	413	264	72	2919
8	बारां	626	166	62	7	0	861	626	166	62	7	0	861
9	अन्ता	64	91	32	7	12	206	64	91	32	7	12	206
10	बड़ी सादड़ी	159	77	5	0	0	241	131	71	5	0	0	207
11	व्यावर	878	522	393	420	149	2362	878	522	393	420	149	2362
12	भरतपुर	355	453	315	120	40	1283	355	453	315	120	40	1283
13	भवानी मण्डी	126	27	25	0	0	178	126	27	25	0	0	178
14	भीलवाड़ा	2999	2664	854	808	555	7880	2999	2664	812	765	547	7787
15	भिण्डर	46	63	18	5	2	134	46	63	8	5	2	124
16	भिवाड़ी	2475	1905	1005	573	955	6913	2235	1433	1005	573	947	6193
17	बीकानेर	1861	1759	1208	1201	448	6477	1861	1751	1196	1201	448	6457
18	बाड़मेर	384	192	0	0	0	576	384	192	0	0	0	576
19	चौमेहला	132	100	0	0	0	232	132	100	0	0	0	232
20	छबड़ा	279	249	72	28	23	651	279	249	72	28	23	651
21	छीपा बड़ौद	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200
22	चित्तौड़गढ़	902	505	363	155	125	2050	902	505	363	155	125	2050
23	चूरू	370	288	79	55	57	849	370	288	79	54	49	840
24	दौसा	623	361	245	66	84	1379	623	361	245	66	84	1379
25	धौलपुर	444	397	259	231	17	1348	443	397	259	231	17	1347
26	झंगरपुर	417	809	771	207	78	2282	417	809	771	207	78	2282
27	गुलाबपुरा	159	177	134	24	7	501	159	177	134	24	7	501
28	हनुमानगढ़	1463	1154	592	790	361	4360	1463	1154	592	790	361	4360
29	जयपुर	25372	26740	16719	17192	12940	98963	24376	25540	16719	17192	12443	96270
30	जैसलमेर	224	93	146	21	22	506	224	93	146	21	22	506
31	झालायाटन	165	50	0	0	0	215	165	50	0	0	0	215
32	झालायाड़	170	232	93	29	6	530	170	232	93	29	6	530
33	झुंझूनू	708	653	167	236	46	1810	708	653	167	236	46	1810
34	जोधपुर	13080	10643	5215	4017	2641	35596	13080	10639	5170	3995	2620	35504
35	किशनगढ़	1138	452	281	181	88	2140	1138	452	281	181	88	2140
36	कोटा	8287	6294	3965	3425	1615	23586	8287	6294	3965	3422	1613	23581
37	बूदी	502	383	221	86	12	1204	502	383	221	86	12	1204
38	कोटपुतली	299	252	155	101	69	876	299	252	155	101	69	876
39	लाखेरी	234	104	43	16	9	406	229	104	43	16	9	401
40	मांगरोल	177	59	8	0	0	244	177	59	8	0	0	244

क्र. सं.	शहर	आवासों का कार्य प्रारम्भ						आवास पूर्ण					
		आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
41	नागौर	1421	857	514	161	28	2981	1417	781	340	138	21	2697
42	नैनवा	128	200	42	16	12	398	128	200	42	16	12	398
43	नसीराबाद	474	323	119	95	61	1072	474	323	119	95	61	1072
44	नाथद्वारा	11	104	61	54	2	232	11	104	61	54	2	232
45	निम्बाहेड़ा	363	363	277	122	101	1226	363	363	253	98	87	1164
46	निवाई	63	257	84	12	31	447	63	257	84	12	31	447
47	पाली	1208	661	363	260	55	2547	1208	661	363	260	55	2547
48	परतापुर	274	351	111	76	17	829	274	351	111	76	17	829
49	फलौदी	623	245	174	88	42	1172	623	245	174	88	42	1172
50	पिण्डवाड़ा	138	40	102	42	21	343	138	40	101	42	21	342
51	प्रतापगढ़	154	165	151	148	48	666	154	165	151	148	48	666
52	रायला	257	50	0	0	0	307	257	50	0	0	0	307
53	राजसमन्द	407	313	337	161	71	1289	407	313	337	161	71	1289
54	रामगंज मण्डी	418	133	52	62	14	679	418	133	52	58	14	675
55	श्रीगंगानगर	197	42	9	7	0	255	148	24	0	0	0	172
56	शाहपुरा	701	224	302	33	0	1260	701	224	302	33	0	1260
57	सवाई माधोपुर	287	360	394	194	33	1268	287	360	394	194	33	1268
58	सागवाड़ा	201	754	85	30	16	1086	201	750	85	30	15	1081
59	सलुम्बर	124	93	44	20	6	287	124	93	44	20	6	287
60	सीकर	385	322	346	138	62	1253	385	322	346	138	62	1253
61	सिरोही	179	281	95	99	22	676	179	281	95	99	22	676
62	सिवाना	151	52	15	10	0	228	151	52	15	10	0	228
63	सुमेरपुर	15	48	44	43	4	154	15	48	44	43	4	154
64	सुनैल	134	110	66	39	64	413	134	110	66	39	64	413
65	सूरतगढ़	672	247	240	226	152	1537	672	247	240	226	152	1537
66	टोंक	940	271	114	68	54	1447	940	271	114	68	54	1447
67	उदयपुर	3049	3169	1749	1370	748	10085	3049	3113	1749	1346	748	10005
	योग	85498	72985	43007	36057	22908	260455	84121	71137	42673	35886	22311	256128

(माह नवम्बर 2023 तक)

तालिका II(b)
शहरवार/आय वर्ग अनुसार आवासों का आवंटन/कब्जे की सूची

क्र. सं.	शहर	आवासों का आवंटन						आवासों का कब्जा					
		आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
1	आबू रोड	599	601	325	159	54	1738	557	584	299	150	22	1612
2	अजमेर	1681	1149	985	827	350	4992	1679	1144	977	827	350	4977
3	अकलेरा	372	0	0	0	0	372	354	0	0	0	0	354
4	अलवर	2618	1827	1688	1000	375	7508	2610	1813	1677	990	372	7462
5	अटरू	286	103	25	9	3	426	274	103	24	8	3	412
6	बालोतरा	416	345	216	206	28	1211	416	330	216	206	28	1196
7	बांसवाड़ा	1174	996	407	263	72	2912	1174	994	402	263	68	2901
8	बारां	626	166	62	7	0	861	600	158	58	6	0	822
9	अन्ता	64	91	32	7	12	206	63	91	32	7	12	205
10	बड़ी सादड़ी	122	69	5	0	0	196	119	69	5	0	0	193
11	ब्यावर	878	522	393	420	149	2362	866	515	390	398	146	2315
12	भरतपुर	355	453	315	120	38	1281	355	453	314	120	38	1280
13	भवानी मण्डी	126	27	25	0	0	178	125	27	25	0	0	177
14	भीलवाड़ा	2998	2664	792	764	545	7763	2953	2630	678	759	536	7556
15	भिण्डर	46	62	8	5	2	123	46	59	8	3	2	118
16	भिवाड़ी	2447	1870	1005	573	954	6849	2196	1418	995	570	933	6112
17	बीकानेर	1861	1751	1196	1193	443	6444	1861	1751	1196	1187	436	6431
18	बाड़मेर	286	170	0	0	0	456	8	20	0	0	0	28
19	चौमेहला	132	100	0	0	0	232	9	12	0	0	0	21
20	छबड़ा	243	246	55	19	16	579	120	137	16	9	6	288
21	छीपा बड़ौद	199	0	0	0	0	199	5	0	0	0	0	5
22	चितोड़गढ़	902	505	363	155	125	2050	900	505	363	151	115	2034
23	चूरू	370	288	79	54	49	840	370	288	79	54	49	840
24	दौसा	623	361	245	66	84	1379	623	361	245	66	82	1377
25	धौलपुर	421	380	257	228	17	1303	394	336	255	227	17	1229
26	झंगरपुर	411	809	770	207	78	2275	411	809	770	207	78	2275
27	गुलाबपुरा	159	177	134	24	7	501	159	175	129	24	7	494
28	हनुमानगढ़	1463	1142	584	785	361	4335	1462	1136	576	775	357	4306
29	जयपुर	24292	25192	16638	17143	12487	95752	23221	23476	16397	17024	12229	92347
30	जैसलमेर	224	93	144	21	22	504	224	93	126	21	21	485
31	झालरापाटन	165	50	0	0	0	215	159	47	0	0	0	206
32	झालावाड़	170	232	93	29	6	530	168	229	84	29	6	516
33	झुँझूनू	708	653	167	234	46	1808	708	653	167	233	46	1807
34	जोधपुर	12879	10531	5133	3941	2632	35116	12284	9983	4886	3912	2587	33652
35	किशनगढ़	1135	451	281	180	88	2135	1118	447	281	179	88	2113
36	कोटा	8287	6294	3965	3420	1608	23574	8282	6288	3954	3413	1602	23539
37	बूदी	502	383	221	86	12	1204	502	380	221	86	12	1201
38	कोटपुतली	299	252	155	101	68	875	296	251	152	99	67	865

क्र. सं.	शहर	आवासों का आवंटन						आवासों का कब्जा					
		आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
39	लाखेरी	231	104	43	16	9	403	228	104	43	16	8	399
40	मांगरोल	148	44	6	0	0	198	1	1	0	0	0	2
41	नागौर	1417	849	514	161	28	2969	1377	763	332	138	21	2631
42	नैनवा	128	200	42	14	9	393	125	198	31	2	4	360
43	नसीराबाद	472	323	119	95	61	1070	470	320	117	94	61	1062
44	नाथद्वारा	11	104	61	54	2	232	11	104	61	54	2	232
45	निम्बाहेड़ा	363	363	250	97	87	1160	362	356	250	97	87	1152
46	निवाई	63	257	84	12	31	447	55	216	73	10	25	379
47	पाली	1208	661	363	260	55	2547	1208	661	363	260	55	2547
48	परतापुर	274	348	108	50	15	795	254	348	103	50	15	770
49	फलौदी	623	245	174	88	42	1172	615	244	170	87	40	1156
50	पिण्डवाड़ा	138	40	100	42	21	341	137	36	99	42	21	335
51	प्रतापगढ़	154	165	151	148	48	666	154	165	148	148	46	661
52	रायला	257	50	0	0	0	307	251	50	0	0	0	301
53	राजसमन्द	407	313	330	161	71	1282	407	313	330	161	71	1282
54	रामगंज मण्डी	418	133	52	58	14	675	291	125	49	47	12	524
55	श्रीगंगानगर	148	24	0	0	0	172	127	24	0	0	0	151
56	शाहपुरा	701	224	302	33	0	1260	701	224	300	33	0	1258
57	सवाई माधोपुर	287	360	394	194	33	1268	287	360	394	194	33	1268
58	सागवाड़ा	201	750	85	30	15	1081	197	743	83	22	7	1052
59	सलुम्बर	124	93	44	20	6	287	124	93	44	20	6	287
60	सीकर	385	322	346	137	61	1251	385	322	346	136	61	1250
61	सिरोही	179	281	95	99	22	676	176	281	95	99	22	673
62	सिवाना	10	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	5
63	सुमेरपुर	15	48	44	43	4	154	15	48	44	41	4	152
64	सुनैल	134	107	66	39	64	410	132	95	61	34	61	383
65	सूरतगढ़	669	246	239	223	141	1518	669	243	239	216	135	1502
66	टोंक	936	270	114	68	51	1439	936	270	114	68	51	1439
67	उदयपुर	3048	3112	1749	1345	748	10002	3048	3098	1747	1345	746	9984
	योग	83688	71041	42638	35733	22369	255469	80419	67570	41633	35417	21909	246948

(माह नवम्बर 2023 तक)

तालिकाIII(a)
नये आवास प्रारम्भ (आय वर्गानुसार / वर्षवार)

वर्ष	आ.दृ.क. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.2019 तक	81211	69532	41759	35666	22144	250312
2019–20	2	0	0	114	11	127
2020–21	1446	1323	713	51	100	3633
2021–22	1343	825	359	32	206	2765
2022–23	1369	1277	88	78	404	3216
2023–24 (नवम्बर 2023 तक)	127	28	88	116	43	402
योग	85498	72985	43007	36057	22908	260455

तालिकाIII(b)
आवास पूर्ण किये गये (आय वर्गानुसार / वर्षवार)

वर्ष	आ.दृ.क.वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.2019 तक	81130	68125	41529	35620	22072	248476
2019–20	73	0	33	16	14	136
2020–21	0	1302	18	11	4	1335
2021–22	777	437	757	170	121	2262
2022–23	1504	618	239	19	16	2396
2023–24 (नवम्बर 2023 तक)	637	655	97	50	84	1523
योग	84121	71137	42673	35886	22311	256128

तालिकाIII(c)
आवासों का आवंटन (आय वर्गवार / वर्षवार)

वर्ष	आ.दृ.क. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.2019 तक	79634	67974	40828	35111	21655	245202
2019–20	67	37	90	34	44	272
2020–21	231	155	329	208	117	1040
2021–22	1070	761	955	149	132	3067
2022–23	1662	1054	298	167	303	3484
2023–24 (नवम्बर 2023 तक)	1024	1060	138	64	118	2404
योग	83688	71041	42638	35733	22369	255469

तालिकाIII(d)
आवासों का कब्जा देना (आय वर्गानुसार / वर्षवार)

वर्ष	आ.दृ.क. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.2019 तक	73014	61070	38020	33840	20733	226677
2019–20	685	383	509	288	155	2020
2020–21	1591	1280	1072	584	368	4895
2021–22	1233	1185	607	336	255	3616
2022–23	1975	1555	941	265	238	4974
2023–24 (नवम्बर 2023 तक)	1921	2097	484	104	160	4766
योग	80419	67570	41633	35417	21909	246948

तालिकाIV(a)

(स्थिति दिनांक 31.12 .2023)

जिन प्रकरणों में धारा-27 की अधिसूचना जारी हो चुकी है परन्तु धारा-4(1) की अधिसूचना जारी नहीं हुई है :

क्र.सं.	अवाप्ताधीन भूमि का विवरण	रकबा (हैक्टेयर)
1.	सैती जिला चित्तोडगढ़	20.211
2	फागी जिला जयपुर	35.55
3	ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर के छूटे हुए खसरा	06.44
4	ग्राम महला-चाणदुक्या, जयपुर	175.13
5	बहरोड उर्फ बलराम तहसील बहरोड	55.01
6	ग्राम व तहसील नीम का थाना जिला, सीकर	47.51
7	ग्राम डूंगरपुर गोकुलपुरा व भाटपुरा जिला डूंगरपुर	29.62
8	सलूम्बर, दूदर, जोधासागर की भागड़ एवं नया गांव जिला उदयपुर	38.48
कुल रकबा		407.951

तालिकाIV(b)

जिन प्रकरणों में धारा— 27 अथवा धारा —4(1) के तहत अधिसूचना जारी नहीं हुई है:

क्र.सं.	योजना का नाम	रकबा (हैक्टेयर)
1	ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर	674.97
2	ग्राम खोनागोरियान / भावगढ़ बन्धा त0 सांगानेर जिला जयपुर	72.02
3	ग्राम उदयपुर गिलरिया एवं टोडी रमजानीपुरा, इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा, जयपुर	103.64
4	हनुमान नगर, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा	22.88
5.	ग्राम नान्दड़ा कलां, उचियारड़ा, बासनीनिकुम्बा, जालेली फौजदारान एवं सोढेर की ढाणी, तहसील व जिला जोधपुर	851.76
6.	ग्राम मोगड़ाकला, तनावड़ा एवं भांकरासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर	465.04
7	पाली	125.85
8	ग्राम कोहला, हनुमानगढ़	107.525
9	ग्राम छत्रपुरा-बूंदी, जिला बूंदी	74.22
10	ग्राम ढोली बासनी, सिलावटान, जोधपुर	728.48
11	रेनवाल, फेज-द्वितीय	894.18
12	डूंगरपुर, जिला बीकानेर	63.49
13	ग्राम ढीकली एवं बाड़ा, तहसील गिर्वा, उदयपुर	193.5063
14	ग्राम जाजेकलां व जाजेखुर्द, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर	142.8687
15	ग्राम थडा, तहसील तिजारा (भिवाड़ी)	50.56
16	ग्राम नैनसुख बहरोड, तहसील बहरोड, जिला अलवर	46.44
17	शंकरपुरा, तहसील राजसमन्द	162.45
18	सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा	6.53
योग		4786.41

तालिकाIV(c)

विशेषाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण :

क्र.सं.	योजना का नाम	रकबा (हैक्टेयर)
1.	पाली चक नं. 1	17.59
योग		17.59

तालिकाIV

वर्ष 2023–24 में दिसम्बर 2023 तक राजस्थान आवासन मंडल को प्राप्त पुरस्कार

वर्ष	पुरस्कार	पुरस्कृत करने वाली संस्था	उपलब्धि जिसके लिये पुरस्कार दिया गया
2023	टाईम रियल एस्टेट कॉन्कलेव	नेशनल रियल एस्टेट डवलपमेन्ट काउन्सिल नई दिल्ली (नरेडको)	दिनांक 26.04.2023 को गुरुग्राम में केन्द्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय मंत्री श्री हरदीप पुरी द्वारा रियल एस्टेट के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रदान किया गया।
2023	द गोल्डन ग्लोब टाईगर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप 2023	द वर्ल्ड एचआरडी कॉग्रेस	दिनांक 16.05.2023 को मलेशिया के कुआलालाम्पुर स्थित पुलमैन कुआलालाम्पुर सिटी सेंटर हॉटल एंड रेजीडेन्स में आयोजित आवासन मंडल की सिटी पार्क योजना हेतु बेस्ट एनवॉयरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट (फॉर एक्सीलेंस इन सीएसआर) हेतु प्रदान किया गया।
2023	द गोल्डन ग्लोब टाईगर्स अवार्ड्स (फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप इन ब्राइंग एण्ड मार्केटिंग 2023	द वर्ल्ड एचआरडी कॉग्रेस	दिनांक 16.05.2023 को मलेशिया के कुआलालाम्पुर स्थित पुलमैन कुआलालाम्पुर सिटी सेंटर हॉटल एंड रेजीडेन्स में आयोजित आवासन मंडल की कोचिंग हब योजना हेतु बेस्ट इनोवेटिव फ्रेंडली प्रोजेक्ट (फॉर एक्सीलेंस इन इनोवेशन) हेतु प्रदान किया गया।
2023	आईबीसी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट	इंडियन बिल्डिंग कॉग्रेस, नई दिल्ली	दिनांक 10.06.2023 को ए.पी.शिंदे सिम्पोजियम हॉल एंड एनएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली केन्द्र में सिटी पार्क मानसरोवर, जयपुर को ‘रिक्रियेशनल श्रेणी के अन्तर्गत “अवार्ड ऑफ ट्रॉफी” प्रदान किया गया।
2023	आईबीसी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट	इंडियन बिल्डिंग कॉग्रेस, नई दिल्ली	दिनांक 10.06.2023 को ए.पी.शिंदे सिम्पोजियम हॉल एंड एनएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली केन्द्र में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना (एमआईजी-ए) के पाँच सौ छियेतर आवासों के निर्माण हेतु ‘रेजीडेशियल यूनिट्स एवं हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस’ की श्रेणी में कमेन्डेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।
2023	आईबीसी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट	इंडियन बिल्डिंग कॉग्रेस, नई दिल्ली	दिनांक 10.06.2023 को ए.पी.शिंदे सिम्पोजियम हॉल एंड एनएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली केन्द्र में जयपुर चौपाटी प्रताप नगर एवं मानसरोवर को ‘रिक्रियेशनल श्रेणी के अन्तर्गत “कमेन्डेशन सर्टिफिकेट” प्रदान किया गया।
2023	वर्ल्ड रिकॉर्ड	ओ.एम.जी बुक ऑफ रिकॉर्ड	प्रथम प्रयास में ही मानसरोवर, जयपुर स्थित भूमि की निलामी से आवासन मंडल को रु. चार सौ अठयासी करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।
2023	वर्ल्ड रिकॉर्ड	ओ.एम.जी बुक ऑफ रिकॉर्ड	आवासन मंडल द्वारा सर्वाधिक रेरा प्रोजेक्ट्स (एक सौ एक) का पंजीकरण किये जाने की उपलब्धि हेतु प्रदान किया गया।
2023	इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर	द वर्ल्ड एचआरडी कॉग्रेस	दिनांक 22.06.23 को आईएचसीएल सेलेक्यूशन जयपुर स्थित देवी रत्न होटल में “फॉर एक्सीलेंस इन इनोवेशन” हेतु कोचिंग हब, प्रताप नगर योजना हेतु प्रदान किया गया।
2023	बेस्ट इनोवेशन इन प्रोडक्ट डिजाइन	द वर्ल्ड एचआरडी कॉग्रेस	दिनांक 22.06.23 को आईएचसीएल सेलेक्यूशन जयपुर स्थित देवी रत्न होटल में “फॉर एक्सीलेंस इन इनोवेशन” हेतु ऑल इंडिया सर्विस रेजीडेन्सी प्रताप नगर योजना हेतु प्रदान किया गया।

वर्ष	पुरस्कार	पुरस्कृत करने वाली संस्था	उपलब्धि जिसके लिये पुरस्कार दिया गया
2023	डवलपर ऑफ द ईयर (अफॉडिंग हाउस)	द वर्ल्ड एचआरडी कॉम्प्रेस	दिनांक 22.06.23 कोआईएचसीएल सेलेक्यूशन जयपुर स्थित देवी रत्न होटल में “फॉर एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट” हेतु मुख्य मंत्री जन आवास योजना हेतु प्रदान किया गया।
2023	डवलपर ऑफ द ईयर (रिटेल)	द वर्ल्ड एचआरडी कॉम्प्रेस	दिनांक 22.06.23 कोआईएचसीएल सेलेक्यूशन जयपुर स्थित देवी रत्न होटल में “फॉर एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट”हेतु चौपाटी प्रताप नगर एवं मानसरोवर योजना को प्रदान किया गया।
2023	लाईफटाइम अचीवमेंट अवार्ड	द वर्ल्ड एचआरडी कॉम्प्रेस	दिनांक 22.06.23कोआईएचसीएल सेलेक्यूशन जयपुर स्थित देवी रत्न होटल में व्यक्तिगत श्रेणी में आवासन आयुक्त को सम्मानित किया गया।
2023	शुभ फूड ट्रेवल एंड वैडिंग टूरिज्म एक्स्पो समिट अवार्ड्स 2023	शुभ वैडिंग्स मैगजीन	दिनांक 03.07.23 को होटल क्राउन प्लाजा जयपुर में मानसरोवर चौपाटी को जयपुर में बेस्ट चौपाटी हेतु प्रदान किया गया।
2023	पब्लिक रिलेशन सोसाईटी, राजस्थान	एक्सीलेन्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन	राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर, जयपुर में आयोजित समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में आवासन आयुक्त को सम्मानित किया गया।
2023	नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पी.एस. यू.	द वर्ल्ड एचआरडी कॉम्प्रेस	दिनांक 13.07.23को हॉटल ताज लैंड एण्डस, मुंबई में आयोजित समारोह में आवासन मंडल द्वारा कोरोना काल में किये गये अभूतपूर्व कार्यों हेतु “सी.एस.आर. इनिशियेटिव” (सोशल डवलपमेंट) प्रदान किया गया।
2023	नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पी.एस. यू.	द वर्ल्ड एचआरडी कॉम्प्रेस	दिनांक 13.07.23को हॉटल ताज लैंड एण्डस, मुंबई में आयोजित समारोह में आवासन आयुक्त को व्यक्तिगत श्रेणी में “एकजेम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर” से सम्मानित किया गया।
2023	ऐशियाज बेस्ट एम्प्लोयर ब्रांड अवार्ड्स 2023	द वर्ल्ड एचआरडी कॉम्प्रेस	हॉटल पेन पैसिफिक, सिंगापुर में आयोजित समारोह में आवासन आयुक्त को व्यक्तिगत श्रेणी में “एकजेम्पलरी लीडर अवार्ड” से सम्मानित किया गया।
2023	ऐशियाज बेस्ट एम्प्लोयर ब्रांड अवार्ड्स 2023	द वर्ल्ड एचआरडी कॉम्प्रेस	हॉटल पेन पैसिफिक, सिंगापुर में आयोजित समारोह में लीडरशिप एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट सोशियल वेलफेर/सीएसआर प्रदान किया गया।
2023	सिल्वर जुबली फाउंडेशन डे ऑफ नरेडको	नेशनल रियल एस्टेट डवलपमेन्ट काउन्सिल नई दिल्ली (नरेडको)	दिनांक 26.08.23 को हैदराबाद में 25वें नरेडको फाउन्डेशन दिवस पर आवासन आयुक्त को अदिवतीय कार्यकारी अधिकारी हेतु सम्मानित किया गया।
2023	सिल्वर जुबली फाउंडेशन डे ऑफ नरेडको	नेशनल रियल एस्टेट डवलपमेन्ट काउन्सिल नई दिल्ली (नरेडको)	दिनांक 26.08.23 को हैदराबाद में 25वें नरेडको फाउन्डेशन दिवस पर राजस्थान आवासन मण्डल को सर्वश्रेष्ठ संस्थान हेतु प्रदान किया गया।

तालिकाVI(a)

RAJASTHAN HOUSING BOARD :: JAIPUR

Posts Sanctioned / Existing / Vacancies as on 31.12.2023

REGULAR EMPLOYEE

S.NO.	Name of Post	San.	Exis.	Vac.	Excess	Remarks
1	CHIEF ENGINEER	3	3	0	0	
2	ADDL. C. E.	3	4	0	1	
3	DY.H.C.	13	10	3	0	
4	SR.P.M.	1	1	0	0	
5	Dy. FINANCE ADVISOR	1	1	0	0	
6	SR.ACCTS OFFICER	2	2	0	0	
7	RESIDENT ENGINEER	48	41	7	0	2 RUDSICO, JDA 1, 1 NAGAR NIGAM KOTA, 1 POLICE HQ
8	PRIVATE SECRETARY	6	6	0	0	
9	DY.TOWN PLANNER	1	0	1	0	
10	ADDITIONAL DIRECTOR COMPUTER	1	1	0	0	
11	JOINT DIRECTOR (S.A.) COMPUTER	1	0	1	0	
12	ACCOUNTS OFFICER	14	10	4	0	
13	ASSTT. ARCHI. / A.T.P.	5	1	4	0	
14	EM/PM/AS	8	7	1	0	
15	A.L.R.	1	0	1	0	
16	PROJECT ENGINEER (SR) CIVIL	192	32	160	0	(RUDSICO-01, JDA 01, POLICE HQ 1.)
17	PROJECT ENGINEER (JR) CIVIL	151	0	151	0	
18	PROJECT ENGINEER (JR) (ELECTRICAL)	11	0	11	0	
19	ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER GR-I	26	4	22	0	
20	A.H.O.	18	14	4	0	
21	Sr. LAW OFFICER	4	0	4	0	
22	Addl. P.S.	8	7	1	0	
23	PROGRAMMER	2	0	2	0	
24	ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER GR-II	62	33	29	0	
25	ARCHI. ASSTT. / T.P.A.	8	4	4	0	
26	ASSTT.LAO	2	0	2	0	
27	ADDL. ADMM. OFFICER	33	33	0	0	
28	PERSONAL ASSISTANT	34	3	31	0	
29	ASSTT. ADM. OFFICER	90	81	9	0	
30	GARDEN INSPECTOR	1	1	0	0	
31	JR. ACCOUNTANT	200	19	181	0	
32	LAND INSPECTOR	1	0	1	0	

S.NO.	Name of Post	San.	Exis.	Vac.	Excess	Remarks
33	JR. LAW OFFICER	12	2	10	0	
34	SR. DRAFTSMAN	15	9	6	0	
35	JR. DRAFTSMAN	21	0	21	0	
36	PLUMBER GR-I	1	0	1	0	
37	ASSTT. PROGMMER	13	2	11	0	
38	DEO / INFORMATION ASSTT.	24	1	23	0	
39	LAB. ASSTT.	2	0	2	0	
40	DRIVER	12	3	9	0	
41	JR.ASSISTANT	268	75	193	0	
42	TELEPHONE OPERATOR	2	0	2	0	
43	TRACER	7	0	7	0	
44	FERO PRINTER	1	1	0	0	
45	FERO CUM RECORD KEEPER	2	0	2	0	
46	GARDENER	1	0	1	0	
47	MACHINE MAN	2	1	1	0	
48	JAMADAR	11	10	1	0	
49	HELPER	225	101	124	0	
50	SWEEPER	12	11	1	0	
	TOTAL	1582	534	1049	1	

तालिका VI(b)

RAJASTHAN HOUSING BOARD

Posts Sanctioned / Existing / Vacancies as on 31.12.2023

WORK CHARGE STAFF (REGULARISED)

S.No.	Name of Post	San.	Exis.	Vac.	Excess	Remarks
1	SUPERVISION	7	7	0	0	
2	SUPERVISION (JR.)	9	9	0	0	
3	FITTER	3	3	0	0	
4	ELECTRICIAN	2	2	0	0	
5	CARPENTER	1	1	0	0	
6	MASSON	3	3	0	0	
7	GARDNER	3	3	0	0	
8	CHOWKIDAR	4	4	0	0	
9	SWEEPER	2	2	0	0	
10	HELPER SKILLED	3	3	0	0	
11	HELPER UN-SKILLED	34	34	0	0	
	TOTAL POST	71	71	0	0	
	GRAND TOTAL (A+B+C)	1707	662	1061	16	

वर्कचार्ज (नियमित) कार्मिकों के सेवानिवृत / निधन हो जाने की दशा में पद स्वतः ही समाप्त हो जावेगे।

तालिका VI(c)
RAJASTHAN HOUSING BOARD


Posts Sanctioned / Existing / Vacancies as on 31.12.2023

DEPUTATION STAFF IN RHB

S.No.	Name of Post	San.	Exis.	Vac.	Excess	Remarks
1	CHAIRMAN	1	0	1	0	
2	HOUSING COMMISSIONER	1	1	0	0	
3	SECRETARY	1	1	0	0	
4	F.A.& C.A.O.	1	1	0	0	
5	DIRECTOR LAW	1	1	0	0	
6	A.C.T.P.	1	1	0	0	
7	C.E.M.	1	0	1	0	
8	ACE	0	1	0	1	Post not Sanctioned
9	DHC	0	1	0	1	Post not Sanctioned
10	SR.TOWN PLANNER	1	1	0	0	
11	DY. SECRETARY	1	1	0	0	
12	Dy. FINANCE ADVISOR	1	1	0	0	
13	OSD TAX	1	1	0	0	
14	SR.ACCTS OFFICER	2	1	1	0	
15	RESIDENT ENGINEER	4	4	0	0	
16	O.S.D.	1	1	0	0	
17	ESTATE MANAGER (RAS)	2	2	0	0	HQ
18	PROJECT ENGINEER (SR)	10	10	0	0	
19	DLR	0	1	0	1	Post not Sanctioned
20	TEHSILDAR	2	2	0	0	
21	ASSISTANT DIRECTOR (PUBLIC RELATION)	1	1	0	0	
22	STASTICAL ASSISTANT	1	2	0	1	
23	PROJECT ENGINEER (JR)	20	11	9	0	
24	PROJECT ENGINEER (SR) CIVIL	0	2	0	2	2 PE(SR) CIVIL POST NOT SANCTIONED
25	HORTICULTURIST	0	1	0	1	Post not Sanctioned
26	DEPUTY MANAGER	0	1	0	1	Post not Sanctioned
27	JR LAW OFFICER	0	1	0	1	Post not Sanctioned
28	JR.ASSISTANT	0	2	0	2	Post not Sanctioned
29	DRIVER	0	1	0	1	Post not Sanctioned
30	MASSENGER (HELPER)	0	2	0	2	Post not Sanctioned
31	SWEEPER	0	1	0	1	Post not Sanctioned
TOTAL POST		54	57	12	15	

- मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की ई-मेल की सूची आवासन मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- राज्य सरकार की जिला स्तरीय बैठकों, सूचनाओं एवं विडियो कानफ्रेसिंग हेतु आवासन मण्डल के नोडल अधिकारियों की सूची आवासन मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

तालिकाVII प्रशासनिक ढांचा



क्षेत्रीय इकाई ढांचा

राजस्थान में मण्डल का कर्य क्षेत्र 9 वृत्त एवं 37 खण्ड कार्यालयों में विभाजित किया हुआ है। जिनका पर्यवेक्षण तीन मुख्य अभियन्ताओं के अधीनी व तीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं द्वारा किया जाता है।

तालिकाVIII

अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदस्थापना सूची

‘अध्यक्ष’			‘आवासन आयुक्त’		
नाम	कब से	कब तक	नाम	कब से	कब तक
श्री डी.डी. पुरोहित	24-Feb-1970	31-Mar-1978	श्री के.के. सरीन	4-Jul-1970	22-Aug-1975
श्री जी.आर. हुकमानी	1-Apr-1978	6-Mar-1980	श्री जे.एम. मल्होत्रा	23-Aug-1975	22-Dec-1976
श्री के.एस. रस्तोगी (आइ.ए.एस.)	7-Mar-1980	27-Mar-1980	श्री के.सी. मित्तल	22-Dec-1976	30-Jun-1978
श्री आर.के. शास्त्री (आइ.ए.एस.)	28-Mar-1980	5-Jan-1981	श्री आर.सी. पंचारिया	1-Jul-1978	15-Dec-1978
श्री आई.जी. झिंगरन (आइ.ए.एस.)	6-Jan-1981	12-Mar-1981	श्री अखयराज	16-Dec-1978	5-Jun-1979
श्री ए.एल. रूंगटा (आइ.ए.एस.)	13-Mar-1981	1-May-1981	श्री जे.एम. मल्होत्रा	5-Jun-1979	15-Sep-1979
श्री मायाराम (आइ.ए.एस.)	2-May-1981	9-Jun-1981	श्री आर. सी. पंचारिया	15-Sep-1979	29-Oct-1979
श्री बी.डी. कल्ला	10-Jun-1981	4-Aug-1981	श्री अखयराज	29-Oct-1979	20-Jan-1981
श्री सतीश कुमार (आइ.ए.एस.)	29-Aug-1981	2-Aug-1982	श्री एल.बी. बक्सी	21-Jan-1981	12-Aug-1981
श्री रामनारायण चौधरी	3-Aug-1982	28-Nov-1983	श्री अखयराज	16-Aug-1981	3-Aug-1983
श्री के.के. सक्सेना (आइ.ए.एस.)	28-Nov-1983	2-Aug-1985	श्री पी.के. लौरिया	3-Aug-1983	27-Sep-1986
श्री (डॉ) आदर्श किशोर (आइ.ए.एस.)	3-Jun-1985	28-May-1987	श्री अखयराज	27-Sep-1986	21-Nov-1988
श्री पी.वी. माथुर (आइ.ए.एस.)	29-May-1987	8-Jul-1987	श्री आर.एस. कुम्भ(आइ.ए.एस.)	21-Nov-1988	6-Sep-1989
श्री एम.एल. मेहता (आइ.ए.एस.)	8-Jul-1987	15-Sep-1988	श्री पी.के. लौरिया	13-Sep-1989	1-Jan-1990
श्री श्रीराम गोटेवाला	15-Jun-1988	6-Mar-1990	श्री एस. के. मुखर्जी	1-Jan-1990	31-Dec-1990
श्री पी.एन. भण्डारी (आइ.ए.एस.)	6-Mar-1990	8-Apr-1990	श्री एस.एल. जोशी	1-Jan-1991	31-Aug-1992
श्री चन्द्रप्रकाश (आइ.ए.एस.)	9-Apr-1990	2-Jul-1991	श्री बी.जी. शर्मा	15-Jan-1993	2-Mar-1994
श्री एस. अहमद (आइ.ए.एस.)	2-Jul-1991	6-Jun-1994	श्री अब्दुल मतीन	1-Jul-1994	28-Aug-1995
श्री एन.के. वर्मा (आइ.ए.एस.)	6-Jun-1994	21-Jul-1995	श्री एन.एन नरहरि	29-Aug-1995	13-Dec-1996
श्री एस.एन. गुप्ता	24-Jul-1995	30-Nov-1998	श्री मनोहर लाल (आइ.ए.एस.)	14-Dec-1996	26-Sep-1998
श्री रवि माथुर (आइ.ए.एस.)	11-Dec-1998	26-Feb-1999	श्री ओ.पी. मीणा (आइ.ए.एस.)	26-Sep-1998	13-Apr-1999
श्री मानसिंह देवड़ा	27-Feb-1999	1-Dec-2003	श्री प्रीतम सिंह (आइ.ए.एस.)	13-Apr-1999	3-Mar-2000
श्री अशोक सम्पत्तराम (आइ.ए.एस.)	18-Dec-2003	6-Jun-2004	श्री विनोद जुस्ती (आइ.ए.एस.)	3-Mar-2000	13-Nov-2000
श्री बी.पी. आर्य (आइ.ए.एस.)	7-Jun-2004	16-Jul-2004	श्री दामोदर शर्मा (आइ.ए.एस.)	13-Nov-2000	17-May-2001
श्रीमती ऊषा शर्मा (आइ.ए.एस.)	17-Jul-2004	24-Jun-2005	श्री बी.एल. आर्य (आइ.ए.एस.)	17-May-2001	15-Jan-2002
श्री बी.पी. आर्य (आइ.ए.एस.)	27-Jun-2005	15-Jul-2005	श्री एम.के. खन्ना (आइ.ए.एस.)	15-Jan-2002	9-Aug-2002
श्री परमेश चन्द्र (आइ.ए.एस.)	16-Jul-2005	31-Jul-2005	श्री अतुल शर्मा (आइ.ए.एस.)	13-Aug-2002	31-May-2003
श्री (डॉ)ललितके.पंवार (आइ.ए.एस.)	1-Aug-2005	20-Jan-2006	श्री कुलदीप शर्मा (आइ.ए.एस.)	31-May-2003	15-Jun-2005
श्री अजयपाल सिंह	21-Jan-2006	20-Dec-2008	श्री नरहरि शर्मा (आइ.ए.एस.)	21-Jun-2005	17-Sep-2005
श्रीमतीआर.आर.हल्दिया(आइ.ए.एस.)	22-Dec-2008	16-Oct-2009	श्री ए.के. हेमकार (आइ.ए.एस.)	17-Sep-2005	9-May-2006

‘अध्यक्ष’			‘आवासन आयुक्त’		
नाम	कब से	कब तक	नाम	कब से	कब तक
श्री अशोक सम्पत्तराम (आइ.ए.एस.)	17-Oct-2009	28-Oct-2009	श्री सोहन लाल (आइ.ए.एस.)	9-May-2006	7-Apr-2007
श्री ललित कोठारी (आइ.ए.एस)	29-Oct-2009	21-Nov-2011	श्री सी.एम. मीणा (आइ.ए.एस.)	7-Apr-2007	18-Feb-2008
श्री परसराम मोरदिया	21-Nov-2011	16-Dec-2013	श्री अजय सिंह (आर.ए.एस.)	18-Feb-2008	30-Jul-2008
श्री जी.एस. सन्धु (आइ.ए.एस)	19-Dec-2013	23-Dec-2013	श्री तपेन्द्र कुमार (आइ.ए.एस.)	30-Jul-2008	18-Jun-2009
श्री डॉ.बी. गुप्ता (आइ.ए.एस)	23-Dec-2013	7-Jun-2014	श्री आशीष बहुगुणा (आइ.ए.एस.)	18-Jun-2009	24-Aug-2009
श्री अशोक जैन (आइ.ए.एस)	7-Jun-2014	5-Feb-2016	श्री पवन गोयल (आइ.ए.एस.)	24-Aug-2009	09-May-2012
श्री ओ.पी.मीणा (आइ.ए.एस.)	5-Feb-2016	1-Jul-2016	श्री टी. रविकान्त (आइ.ए.एस.)	10-May-2012	28-Sept- 2012
श्री ए.मुखोपाध्याय (आइ.ए.एस.)	1-Jul-2016	5-May-2017	श्री नीरज के.पवन(आइ.ए.एस.)	01-Oct.-2012	19-Feb-2013
श्री उमेश कुमार (आइ.ए.एस.)	10-May-2017	6-Oct-2017	आर. वेकटेश्वरन (आइ.ए.एस.)	19-Feb -2013	12-Feb-2014
श्री श्रीचन्द्र कृपलानी	16-Oct-2017	13-Nov-18	श्री आनन्द कुमार (आइ.ए.एस.)	12-Feb-2014	24-Jun-2015
श्री डॉ.बी. गुप्ता (आइ.ए.एस)	13-Nov-18	03-Jan-19	श्रीओमप्रकाशसैनी(आइ.ए.एस.)	24-Jun-2015	5-Feb-2016
श्री रजत मिश्रा (आइ.ए.एस)	03-Jan-19	12-Feb-19	श्री ओ.पी.मीणा (आइ.ए.एस.)	5-Feb-2016	1-Jul-2016
श्री भास्कर ए. सावंत (आइ.ए.एस)	13-Feb-19	07-May-21	श्री ए.मुखोपाध्याय (आइ.ए.एस.)	1-Jul-2016	5-May-2017
श्री शांति धारीवाल	07-May-21	03-Dec-23	श्री डा.के.बी.गुप्ता (आइ.ए.एस.)	10-May-2017	28/2/2018
			श्री पी.बी. यशवन्त (आइ.ए.एस.)	28/2/2018	7-May-2018
			श्री रोहित गुप्ता (आइ.ए.एस.)	7-May-2018	8-Jul-2018
			श्री पी.बी. यशवन्त (आइ.ए.एस.)	16-Jul-2018	28-Dec-2018
			डा.रविकुमारसुरपुर(आइ.ए.एस.)	28-Dec-2018	05-Mar-2019
			श्री सुबीर कुमार (आइ.ए.एस)	05-Mar-2019	27-June-2019
			श्री पवन अरोड़ा (आइ.ए.एस)	27-June-2019	18-Aug-2023
			श्रीमती अल्पा चौधरी (आइ.ए.एस)	19-Aug-2023	03-Sept-2023
			श्री कुमार पाल गौतम (आइ.ए.एस)	04-Sept-2023	लगातार


राजस्थान आवासन मण्डल का नेटवर्क:



बोर्ड की योजनाएँ जालौर, करौली जिला मुख्यालय को छोड़कर बाकी सभी जिला मुख्यालयों सहित 67 शहरों/कस्बों में विस्तारित है।




कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान



जयपुर चौपाटी, प्रताप नगर, जयपुर



जयपुर चौपाटी, मानसरोवर, जयपुर



सिटी पार्क, मानसरोवर, जयपुर



मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 के तहत गठित राजकीय उपक्रम

(राजस्थान अधिनियम संख्या 4 सन् 1970)

‘आवास भवन’, जन पथ, ज्योति नगर,

जयपुर – 302005 राजस्थान (भारत)

(ईपीएबीएक्स – 0141 2740812, 2740113, 2740614; फैक्स – 0141 2740175)

(Website: www.urban.rajasthan.gov.in/rhb; e-mail ID: info.rhb@rajasthan.gov.in)

:: मण्डल का है यह सपना :: सुंदर घर हो सबका अपना ::